

चौथी दिनरात्रि

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार



1986 से प्रकाशित

27 अप्रैल-03 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कोयला खदानों की नीलामी


कालिख ही कालिख



कोयले की कालिख ही ऐसी है कि लाख चतुराई करें, तो भी एक-दो धब्बे लगने तय हैं. इस बार भी कोयले ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कोयले की कालिख ने यूपी ए सरकार का तख्त पलट दिया था. कैंग ने एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही थी, लेकिन चौथी दुनिया शुरू से इस घोटाले को 26 लाख करोड़ रुपये का बताता रहा है. बहरहाल, सुपीम कोट्ट ने सारे आवंटन रद्द कर दिए थे. अब दोबारा से उन कोयला खदानों की नीलामी शुरू हो गई है. कोयला खदानों के आवंटन से लाखों करोड़ रुपये मिलने की बात की जा रही है. यह सही भी है. कई सारी खदानों की नीलामी सफलतापूर्वक हो चुकी है, खूब सारा पैसा भी मिल रहा है. लेकिन कोयला तो आखिर कोयला है सो विवाद यहां भी पैदा हो गया है. मामला गारे पालमा खदान के आवंटन और फिर उसे रद्द करने का है. यह आवंटन जिंदल पॉवर को हाल था. कारण बोली कम लगना है, लेकिन यह सरकारी तर्क है. इसे दूसरे नज़रिये से देखें, तो कई तथ्य ऐसे हैं, जिन पर गौर करने की ज़रूरत है. कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है. और, अगर जवाब मिल जाए, तो शायद भ्रष्टाचार के नए तरीके और नए पन्ने एक बार फिर देश की जनता के सामने आएंगे.

छ तीसगढ़ की गारे पालमा 4/2-3 कोयला खदान की नीलामी रह की जा चुकी है. 19 फरवरी, 2015 को इस खदान की सबसे बड़ी बोली जिंदल पॉवर लिमिटेड ने लगाई थी. बाकायदा जिंदल पॉवर लिमिटेड को इस खदान का आवंटन भी हो गया, लेकिन इस बीच इस आवंटन को लेकर कुछ सवाल शुरू हो गए. मसलन, जहां अन्य कंपनियों ने इस तरह की कोयला खदानों 1,000 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर ली थीं, वहाँ जिंदल को गारे पालमा 4/2-3 खदान बेस प्राइस 100 रुपये से मात्र आठ रुपये अधिक पर मिल गई. इस तथ्य को थोड़ा और सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है. शिड्गूँ-2 में शामिल कोयला खदानों की बोली लगाने के लिए सरकार ने प्रति टन 100 रुपये का बेस प्राइस रखा था. यानी कोई भी कंपनी इससे कम की बोली नहीं लगा सकती थी. एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ध्यान में रखने लायक है कि कोयले की यह खदान अनुसूती-दो (शिड्गूँ-2) में शामिल थी. यानी इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाना था. अब इस अनुसूती में शामिल कोयला खदानों की नीलामी जीतने वाली कंपनियों के मूल्य पर ध्यान दें. तोकीसुड उत्तरी खदान एस्सर पॉवर एमपी लिमिटेड ने 1,010 (प्लस 100 रुपये बेस प्राइस) रुपये की बोली लगाकर हासिल की. यानी कोयला का मूल्य हुआ 1,110 रुपये प्रति टन. ट्रांस दामोदर खदान दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 840 रुपये प्रति टन की बोली लगाकर हासिल की. जेपी वैन्चर्स लिमिटेड ने अमेलिया उत्तरी खदान 612, जीएमआर छत्तीसगढ़ ने तालाबीरा-1 खदान 378 रुपये और सीईससी ने सरसिटोली खदान 370 रुपये प्रति टन की बोली

पावर सेक्टर के लिए शिड्गूँ 2 में शामिल कोयला खदान के इं ऑवशन में किसने कितनी बोली लगाई (बेस प्राइस 100 रुपये)



क्वालिफाइड बीडर्स में एक ही समूह की तीन कंपनी

क्वालिफाइड बीडर्स	इनीशियल ऑफर प्राइस	सबसे ऊंची बोली
	में कोटेड प्राइस	
1. अडानी पावर महाराष्ट्र लि.	501	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
2. जीएमआर छत्तीसगढ़ एनजी लि.	0	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
3. जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	505	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
4. जिंदल पावर लिमिटेड (64849)	450	108 (एक) 19.2.2015
5. जिंदल पावर लिमिटेड (65465)	452	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया
6. जिंदल पावर लिमिटेड(65476)	451	नीलामी में हिस्सा नहीं लिया

लगाकर जीती. लेकिन, सबसे अहम और दिलचस्प बोली लगी गारे पालमा 4/2-3 खदान की. इसे मात्र

आठ रुपये प्रति टन (प्लस 100 रुपये बेस प्राइस यानी मात्र 108 रुपये प्रति टन) की बोली लगाकर

जिंदल पॉवर लिमिटेड ने हासिल कर लिया.

अब सवाल है कि गारे पालमा मामले में ऐसा क्या हुआ कि मात्र आठ रुपये प्रति टन की बोली लगाकर जिंदल पॉवर लिमिटेड ने उन खदान हासिल कर ली? जाहिर है, यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर विवाद होना तय था. सो हुआ. मीडिया में रिपोर्ट आई, तो सरकार ने इस पर क़दम उठाने की बात की. अंत में क़दम यह उठाया गया कि तत्काल प्रभाव से सरकार ने गारे पालमा 4/2-3 का आवंटन रद्द कर दिया. यह अलग बात है कि जिंदल ने सरकार के इस क़दम का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय ने आवंटन रद्द करने के बारे में यह कहा कि इस कोयला खदान की बोली कम थी. परं सवाल पैदा होता है कि यह बोली कम थी या फिर बोली जानबूझ कर कम लगाई थी? और अगर जानबूझ कर, सोच-समझ कर बोली कम लगाई गई थी, तो इसके लिए दोनों कोन है? सवाल यह भी है कि नीलामी में शामिल अन्य कंपनियों ने बोली लगाई थी या नहीं या सिर्फ़ जिंदल ने ही बोली लगाई और बाकी कंपनियां चुपचाप बैठी रहीं? बोली लगाने वाली कंपनियां कौन हैं? क्या सरकार ऐसी कंपनियों से भी पूछताछ करेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब सामने आना चाहिए. वैसे इन सारे सवालों पर सरकार अब तक चुप है.

वैसे यह जाना दिलचस्प होगा कि 108 रुपये प्रति टन कोयले की असली कहानी क्या है? यह संभव कैसे हुआ और क्यों हुआ? पूरी कहानी कुछ यूँ है. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में गारे पालमा कोयला खदान है, कोयला मत्रालय ने पार यूँ के लिए शिड्गूँ-2 में छह कोयला खदान शामिल की थीं। इनमें गारे पालमा 4/2-3 के अलावा तालाबीरा-1, सरिसाटोली, ट्रांस दामोदर, अमेलिया उत्तरी और तोकीसुड उत्तरी शामिल हैं। इन सभी...

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बाईंदर किसानों की
पुकार कब सुनेगी सरकार | P-3

ऑपरेशन रहत
कामयाबी की मिसाल | P-5

ये कानून कोढ़ में
खाज जैसे हैं | P-10

कालिख ही कालिख

पृष्ठ 1 का शेष

कोयला खदानों की ई-नीलामी समय पर हो गई। तालाबीरा खदान 478, सरिसाटोली खदान 470, ट्रांस दामोदर खदान 940, अमेलिया उत्तरी 712, तोकीसुड उत्तरी 1,110 और गारे पालमा 4/2-3 108 रुपये प्रति टन की अंतिम बोली पर नीलाम हो गई। अब आगे खुद अंदाजा लगाइए कि एक ही काम यानी उत्पादन के लिए एक ही शिड्डूल में शामिल खदानों के मूल्य में कितने का अंतर है। 108 रुपये बनाम 1,110 रुपये, यानी एक ही तरह का कोयला कहीं 1,110 रुपये प्रति टन बिका, तो कहीं 108 रुपये, ध्यान देने की बात है कि 108 रुपये प्रति टन कोयला गारे पालमा 4/2-3 का बिका, जिसे जिंदल पॉवर लिमिटेड ने खरीदा। 19 फरवरी, 2015 को गारे पालमा खदान की नीलामी हुई। इस खदान की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए छह कंपनियां क्वालिफाइड हुई थीं। इनमें भी अकेले जिंदल पॉवर लिमिटेड के तीन बिंब थे, तीन अन्य कंपनियां थीं, अडानी पॉवर महाराष्ट्र, जीएमआर छत्तीसगढ़ एनजी लिमिटेड और जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, लेकिन, इस खदान के लिए गोली लगाई सिर्फ़ एक कंपनी ने, वह कंपनी थी, जिंदल पॉवर लिमिटेड। अडानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड ने इनिशियल प्राइस ऑफर (आईपीओ) में 501 रुपये प्रति टन का प्राइस कोट किया था, लेकिन उसने बोली में हिस्सा नहीं लिया। जीएमआर छत्तीसगढ़ एनजी लिमिटेड ने आईपीओ में कोई प्राइस कोट नहीं किया और न नीलामी में बोली लगाई। जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड ने आईपीओ में 505 रुपये का प्राइस कोट किया था, लेकिन अंत में वह भी बोली लगाने की प्रक्रिया से अलग रही।

इस तरह पूरी बोली प्रक्रिया में बचे के बल तीन बिड़। यानी जिंदल पॉवर लिमिटेड (64845), जिंदल पॉवर लिमिटेड (65465) और जिंदल पॉवर लिमिटेड (65476)। इनमें जिंदल पॉवर लिमिटेड (65465) ने आईपीओ में 452 रुपये का प्राइस कोट किया था, वहीं जिंदल पॉवर लिमिटेड (65476) ने आईपीओ में 451 रुपये का प्राइस कोट किया था, लेकिन अंत में इन दोनों ने भी बोली में हिस्सा नहीं लिया। अब बची जिंदल पॉवर लिमिटेड (64849), इसने आईपीओ में 450 रुपये प्रति टन का प्राइस कोट किया था। 19 फरवरी को जब नीलामी शुरू हुई, तब बाकी कंपनियों ने बोली नहीं लगाई और अकेले जिंदल पॉवर लिमिटेड (64849) ने बोली लगाने के बाद एक ही खदान से 108 रुपये प्रति टन के हिसाब से हासिल किया था। आखिर गारे पालमा मामले में ऐसा क्या हुआ था कि नीलामी प्रक्रिया महज दो घंटे में खत्म हो गई। जाहिर है, इस सवाल के पीछे कोई न कोई कहानी तो ज़रूर छिपे हुई है। अब इसका जवाब कब सामने आता है, यह देखने वाली लगाई?

ध्यान देने की बात यह है कि इस बार पॉवर सेक्टर की कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया काफी आक्रामक थी। एक-एक खदान के लिए कई कई कंपनियों ने घंटों तक बोली लगाई, ऐसे में गारे पालमा 4/2-3 के लिए सिर्फ़ एक कंपनी द्वारा बोली लगाना संदेह तो पैदा करता ही है। यह समझा से पैर है कि आखिर बाकी कंपनियों ने बोली क्यों नहीं

1,110 बनाम 108 रुपये

जि न 45 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें से अब तक कई खदानों का आवंटन रुपये प्रति टन की सबसे कम बोली पर हासिल की। पॉवर सेक्टर के लिए सुरक्षित खदानों की बोली कम इसलिए है, यद्योंके सरकार ने उनकी अंतिम विक्रय सीमा निर्धारित कर दी थी। उसके पीछे सरकार ने यह दलील दी थी कि अगर इन सुरक्षित कोयला खदानों की अंतिम विक्रय सीमा विधारित नहीं की गई, तो बिजली उत्पादन का खर्च बढ़ जाएगा और बिजली महंगी हो जाएगी। लेकिन, जिंदल पॉवर लिमिटेड (जीपीएल) को आवंटित की गई खदान सरकार के इस दावे को संदेह के धोंगे में ला खाड़ा करती है और कई सवालों को भी जन्म देती है। पहला यह कि क्या बिजली के नाम पर राश्ट्रीय संसाधनों को औने-पौने दामों में बांटने के बावजूद जनता को सस्ती बिजली मिल रही है? दूसरा यह कि गारे पालमा 4/2-3 खदान के बल 108 रुपये प्रति टन की बोली पर क्यों नीलाम हुई, जबकि उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित गारे पालमा 4/5 खदान अब तक की सबसे महंगी बोली पर नीलाम हुई और अन्य सुरक्षित खदानों पर भी इससे काफी ऊंची बोली लगती है, जैसे तोकीसुड उत्तरी खदान 1,110 रुपये प्रति टन की बोली पर नीलाम हुई और एसरार पॉवर लिमिटेड को मिली गारे पालमा 4/2-3 खदान के लिए 155 मिलियन टन है, जो नीलामी के लिए रखी गई कीमी गारे पालमा है। वहीं गारे पालमा खदानों का कोयला सबसे उत्तम उपग्रहण वाला है, तो उसे पॉवर सेक्टर के लिए ही क्यों सुरक्षित रखा गया? क्या पॉवर सेक्टर के लिए कम उपग्रहण वाली खदानों को नहीं रखा जा सकता था? साथ ही इन खदानों के दो अन्य दावेदारों अडानी पॉवर और ओजीएमआर का बोली से हट जाना भी संदेह पैदा करता है। ■



नीलामी प्रक्रिया से बाहर रहना क्यों ज़रूरी समझा?

इसी तरह गारे पालमा 4/2-3 खदान की नीलामी में अगर अडानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड ने हिस्सा लिया होता और उसे यह खदान मिल जाती, तो उनकी कोयला ज़रूरत का 93 फ़िसद हिस्सा पूरा हो सकता था। और, अगर जिंदल इंडिया थर्मल पॉवर लिमिटेड ने नीलामी में हिस्सा लिया होता, तो उसकी कोयला ज़रूरत का 98 फ़िसद हिस्सा पूरा हो सकता था। अब सवाल है कि ऐसे क्या हुआ कि इन कंपनियों ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के बजाय जिंदल पॉवर लिमिटेड के लिए यह कोयला खदान छोड़ दी? वह भी ऐसा तब हुआ, जब इन कंपनियों को मालूम था कि नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा न लेने पर उनकी जमानत गिरती, जो करोड़ों में थी, जब हो जाएगी। सवाल यह भी है कि क्या इसके लिए इन कंपनियों के बीच अंदरखाएं कोई समझौता हुआ था? वैसे सरकार ने अब तक यह तो नहीं कहा है कि इस सबके पीछे ऐसा कुछ हुआ है, जो कायदे से नहीं होना चाहिए था। लेकिन, सरकार ने यह ज़रूर माना कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो सरकार ने आवंटन रद्द कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उस राज से पर्दा उठागा कि आखिर जिंदल पॉवर लिमिटेड के अलावा बाकी तीन कंपनियों ने अपनी ज़रूरत को दरकानार रखते हुए नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा क्यों नहीं लिया? जाहिर है, अगर सरकार इस मामले की पूरी जांच कराए, तो ऐसे कई राज खुल सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के नए तरीकों को सामने लाएंगे। ऐसे तरीके, जो एक ईमानदार प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद भी भ्रष्टाचार के नए रास्ते बना देते हैं। ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

वर्ष 07 अंक 08

दिल्ली, 27 अप्रैल-03 मई 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक

संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)

प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक

सोरेज कुमार सिंह (बिहार-झारखण्ड)

समू. भवन, वेस्ट बोरिंग केनल रोड,
हीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001

फोन: 0612 3211869, 09431421901

संपादक समन्वय

सोरेज कुमार सिंह (बिहार-झारखण्ड)

समू. भवन, वेस्ट बोरिंग केनल रोड,
हीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001

फोन: 0612 3211869, 09431421901

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

कंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा, गोमती नदी उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-6451999

6450888

विज्ञापन व प्रसार 022-42296060

+91-8451050786

+91-9266627379

फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखण्ड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छेप समीक्षा अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कार्यालय इन्स्पेक्टर के किसी समीक्षा अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समस्त कानूनी विवादों को क्षेत्रीयिक दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा।

धिल्ली का बाबू

हिंदू का महाल सामाजिक अध्ययन

वर्ष 07 अंक 08

दिल्ली, 27 अप्रैल-03 मई 2015

RNI-DELHIN/2009/30467


संपादकीय कार्यालय

के-2, गैन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट

फ़सल मुआवज़े को लेकर भेदभाव

बटाईदार किसानों की पुकार कब तुम्हें पीसरकार

चैत्र और बैसाख के महीने में अमूमन तेज़ पछुआ हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की रफतार से किसानों की खुशी का काफ़ी गहरा रिश्ता है। हालांकि, पिछले दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में पुरवा हवाओं के साथ तेज़ बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को निराश कर दिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की फ़सल तैयार होने पर घरों में मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन इस बार उन करोड़ों किसानों की आंखों में आंसू हैं और जेब खाली है, जिन्होंने खेतों में दिन-रात मेहनत कर बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद की थी। बैमौसम बारिश के चलते उन बटाईदार किसानों को अब यह चिंता सता रही है कि वे ज़मीन मालिक को मनठीका या नगदी कहां से देंगे। केंद्र सरकार ने कौरी तौर पर भले ही किसानों के लिए राहत का ऐलान किया हो, लेकिन इसका फ़ायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास भू-स्वामित्व का दस्तावेज़ है। पेश है, देश में बटाई पर खेती करने वाले मूल किसानों की समस्याओं पर **चौथी दृग्निया** की यह खास रिपोर्ट...



आधिकारिक रंगन सिंह

मा चै-अप्रैल का महीना देश के करोड़ों किसानों के लिए कहर बनकर दूटा। खेतों में खड़ी फ़सलें बैमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गई। अपनी महीनों की मेहनत बेकार जाते देख देश सेकड़ा किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। बारिश, ओलावृष्टि और तेज़ हवाओं ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में किसानों की रबी की फ़सलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में लाखों हेक्टेयर खड़ी फ़सल बर्बाद हो गई। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने गज़ियतामा में दी। उनके मुताबिक, 27 लाख हेक्टेयर फ़सल का नुकसान अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसी के महेन्जर प्रधानमंत्री नेंद्र मोदी ने फ़सलों को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 33 फ़ीसद फ़सल के नुकसान मुआवज़े का निर्णय किया है। पहले जहां 50 फ़ीसद फ़सल के नुकसान होते पर ही कोई किसान मुआवज़े का कहरा होता था, वहां अब 33 फ़ीसद फ़सल के नुकसान पर भी उसे मुआवज़ा दिया जाएगा। किसानों पर आई इस विपदा के बाद केंद्र सरकार ने भले ही उनके लिए मुआवज़े का ऐलान किया हो, लेकिन मुआवज़े के नाम पर किसानों के साथ किस तह भेदभाव किया जाता है, यह जाना बहुत ज़रूरी है।

बैमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी से तबाह होने वाली फ़सलों के लिए सरकारी नुकसानों को मिलता है, जिनके पास भू-स्वामित्व के दातानेकर थे, उन्हें न्यूट्रिटम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहां दूसरी ओर नगदी बटाई, अधबटाई और मनी बटाई (मनठीका) पर खेती करने वाले किसानों को धान बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभागीय निर्देशों के मुताबिक, सरकारी धान क्रय केंद्रों पर उन्हीं किसानों का धान खरीदने का नियम है, जिनके पास मालगुजारी (लगान) की अद्यतन रसीद हो। खगड़िया ज़िले के गांगरी प्रदेश अंतर्गत राटन पंचायत के पैकड़ अध्यक्ष फणिभूषण यादव ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की इस समस्या को गंभीर बताते हुए सरकार से उनके लिए विशेष प्रबन्धन करने की मांग की। चौथी दृग्निया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ज़िले में बैमौसम बारिश की वजह से फ़सलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह बटाईदार किसानों के लिए भी राहत की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी युवा

ज़्यादातर लोग स्वयं खेती नहीं करते हैं, वे अपने खेत बटाई, अधबटाई और मनठीका (मनुडंग) पर लगा देते हैं। बटाई पर अपनी ज़मीन देने वाले किसानों के कुल कृषि लागत का आधा हिस्सा देना होता है, जबकि मनठीका (मनुडंग) पर अपनी ज़मीन देने वाले भू-स्वामियों का एक रुपया भी खर्च नहीं होता है। ऐसे भू-स्वामी निजी व्यस्तताओं, शहरों में प्रवास और खेती में अरुचि की वजह से अपनी ज़मीनें सालाना 15-20 हजार रुपये या 10 से 15 मूल प्रति बीघा अनाज पर स्थानीय छोटे या भूमिहीन किसानों को दे देते हैं। वह किसान अपने पूरे परिवार के साथ उन खेतों में साल भर कड़ी मेहनत करता है, अपनी पूर्णी लगाकर अनाज पैदा करता है और अपने परिवार का भण्डा-पोषण करता है। दुर्भाग्यवश, अगर उसकी फ़सल बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो जाती है, तो ऐसे किसानों की हालत काफ़ी दयनीय हो जाती है। फ़सलों के तबाह होने पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों को मिलने वाली राहत योजनाओं का सर्वाधिक लाभ भू-स्वामियों को मिलता है, न कि बटाईदार किसानों और

केंद्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत देश के क़र्ज़दार किसानों के बाबत मांगी गई एक जानकारी के विषय में मंत्रालय ने ज़वाब दिया कि वर्ष 2014 तक देश के 11.89 करोड़ किसानों ने 6,44000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ लिया, वर्ष 2009-10 में किसानों पर 3,25000 करोड़ रुपये का क़र्ज़ था, जो वर्ष 2012 तक 5,90532 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। याती तीव्र वर्षों के भीतर ही किसान दो गुने क़र्ज़दार हो गए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के अनुसार, देश में सर्वाधिक क़र्ज़दार किसानों की संख्या ग्रामीण इलाजों में है और किसानों की आत्महत्या के मामले में यह पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहां किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की संख्या 87,09348 है, कर्नाटक में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों की कुल संख्या 57,11916 है।

इन बिंदुओं पर ग़ार करे सरकार

- बैमौसम बारिश से तबाह हुई फ़सलों के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवज़ा दिया जाए।
- गेहूं के समर्थन मूल्य पर प्रति विवर्टल अतिरिक्त बोनस दिया जाए।
- 50 फ़ीसद फ़सल बर्बाद होने पर ही मुआवज़ा देने का प्रावधान खत्म करते हुए, नई मुआवज़ा नीति घोषित की जाए।
- बटाईदार किसानों के लिए सरकार विशेष राहत पैकेज का ऐलान करे।
- फ़सल की बर्बादी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।
- खेतों का सर्वे कर फ़सलों के नुकसान का आकलन किया जाए।
- आत्महत्या करने वाले बटाईदार किसानों के परिजनों को जोत भूमि की गारंटी दी जाए।
- तबाह हुई नगदी फ़सलों के नुकसान की भरपाई की जाए।
- किसानों का एक साल का बिजली का बिल माफ़ किया जाए।
- पांच वर्ष तक मालगुजारी (लगान) की वसूली न हो।

बिहार के खगड़िया ज़िले में था। उस समय बिहार में सरकारी स्तर पर धान खरीद हो रही थी। जिन किसानों के पास भू-स्वामित्व के दातानेकर थे, उन्हें न्यूट्रिटम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वहां दूसरी ओर नगदी बटाई, अधबटाई और मनी बटाई (मनठीका) पर खेती करने वाले किसानों को धान बेचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभागीय निर्देशों के मुताबिक, सरकारी धान क्रय केंद्रों पर उन्हीं किसानों का धान खरीदने का नियम है, जिनके पास मालगुजारी (लगान) की अद्यतन रसीद हो। खगड़िया ज़िले के गांगरी प्रदेश अंतर्गत राटन पंचायत के पैकड़ अध्यक्ष फणिभूषण यादव ने बटाई पर खेती करने वाले किसानों की इस समस्या को गंभीर बताते हुए सरकार से उनके लिए विशेष प्रबन्धन करने की मांग की। चौथी दृग्निया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ज़िले में बैमौसम बारिश की वजह से फ़सलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह बटाईदार किसानों के लिए भी राहत की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी युवा

बता सकता। किसान राष्ट्रीय दावद ने निराशा ज़ाहिर करते हुए कहा कि खगड़िया ज़िले में मक्के की सर्वाधिक खेती होती है। पिछले साल मक्के की कीमत कम रहने की वजह से किसानों को बाजार की मार झेलनी पड़ी। इसलिए किसानों ने काफ़ी उम्मीद के साथ गेहूं की खेती की, लेकिन इस बार उन्हें प्रकृति की मार झेलनी पड़ी। नीतीजतन, ज़िले के किसान आज़ दोराहे पर खड़े हैं।

भारतीय कम्पनिस टार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के पालिल व्यूरो सदस्य सभा सह अधिकल भारतीय खेत और ग्रामीण मज़दूर सभा के राष्ट्रीय महासमित्र धर्मेंद्र झा ने चौथी दृग्निया से बातचीत करते हुए बताया कि बिहार में 70 फ़ीसद फ़सल किसान नार्दी बटाई, मन बटाई और अधबटाई एवं कर्ज़ लाभ करते हुए, ऐसे किसानों की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हुई फ़सलों पर कोई मुआवज़ा नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। यह समस्या सिर्फ़ बिहार के किसानों की नहीं है। लिहाज़ा सरकार को चाहिए कि वह बटाईदार किसानों के लिए भी राहत की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी युवा

भू-स्वामियों के अलावा, बटाईदारों को भी मिलना चाहिए। हालांकि, नार्दी की ओर से बटाई पर खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये के लिए विवर्टल अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान किया गया है, ऐसे में किसानों को स्थानीय महाज़ों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज़ लेना पड़ता है। बैमौसम बारिश

उत्तर प्रदेश

आपदा से अधिक राहत का सम्बन्ध



भगत रंजन वीन

बो मौसम बारिश और ओलावृष्टि से मर रहे किसानों को मुआवजा देने के मामले में खुद को फंसता देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से प्रदेश में आपदा घोषित कर दी है और सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें राहत के काम में लग जाने का निर्देश दिया है।

प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को पहुंचे नुकसान से किसानों को जितना सदमा लाया है, उससे अधिक सदमा उन्हें सरकारी मुआवजे का चेक देखकर लग रहा है। किसानों को 50 रुपये, 70 रुपये तो कहीं भी रुपये के चेक मुआवजे के बौत दिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के इस किसान प्रेम पर जब प्रदेश और देश स्तर पर प्रबल विरोध शुरू हुआ, तब राज्य सरकार ने अपनी साथ बचाने का एहतियाती काम शुरू किया। अब सरकार कह रही है कि किसानों को सौ-पचास नहीं, बल्कि डेंड हजार रुपये देंगे। जानकार कहते हैं कि सरकार की इस पैरेवाजी में किसान प्रेम कहीं नहीं है, यह केवल सियासी पेशबंदी है।

चौथी दुनिया के पिछले अंकों में भी किसानों के प्रति राज्य सरकार की बोलचाल और नीकरायी की बोलचालों के बारे में खबरें छपी हैं। प्राकृतिक आपदा के शिकायों को मुआवजा देने में किसानों को उनकी बाबाद फसलों के एवज में प्रदेश सरकार किसानों को किस तरह भीख बांट रही है, इसे भी तथ्यों के साथ प्रकाशित किया गया है। इसके बावजूद समाजवादी सरकार की खाल पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसे तमाम नए-नए वाक्ये सामने आते ही जा रहे हैं। फैजाबाद में तो किसानों को 50 रुपये, 63 और 84 रुपये तक के चेक बांटे गए हैं। राहत के ये चेक उन किसानों को दिए गए हैं, जिनकी फसल बैंगनीसम बारिश की वजह से तबाह हो गई है और जो खुद मीत की दहलीज पर खड़े हो गए हैं। इन चेकों के बिराम का सामाजिक अपार्टमेंट उत्तरापार होते ही सरकार ने लेखपालों के विवरण का सामाजिक अपार्टमेंट करने की छुट्टीया कार्यालय की ओर जो वायपस लिया हुआ चेक कभी बड़ी धनराशि के साथ वायपस नहीं आएगा। शासन और प्रशासन की अराजकता का हाल यह है कि राहत राशि बांटने में भी तंत्र के बंदरों का पूरा ध्यान लगा हुआ है। इस कोशिश में कब्रिस्तानों को भी खेत धोषित कर मुआवजे की राशि खाली-काली जा रही है। राहत राशि की बंदरबांट के आरोपों की अधिकारिक पुष्टि हुई है, जिसमें कब्रिस्तान के नाम पर भी चेक बना दिए गए हैं।

फैजाबाद की रुदौली तहसील के वाजिदपुर गांव के किसान मोहम्मद साविर प्रकृति की मार से तबाह हो चुके हैं। पांच बीघा से अधिक खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने पर उन्हें मात्र 100 रुपये का मुआवजा दिया गया। उनके लिए राहत का यह चेक प्रकृति की मार से कहीं अधिक घातक साबित हो रहा है। रुदौली के ही एक अन्य किसान मोहम्मद शाहिद को उनकी तीन बीघा जमीन पर हुई बर्बादी के लिए 63 रुपये का चेक मिला है। मोहम्मद मुस्लिम को चार बीघा खेत पर हुई बर्बादी के लिए 84 रुपये का मुआवजा मिला है। ये नायक खास तौर पर इसलिए भी दिए गए, क्योंकि इन मुस्लिम किसानों को दी गई राहत राशि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टिकरण की अपलियत है। अच्युत-धर्म के किसानों की तो बात ही अलग है। वाजिदपुर में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कभी कोई प्रशासन का आदमी, नायब तहसीलदार या

क़र्ज़ वसूली पर बड़े बैंक, भारतीय आई का निर्देश ताक पर

कि प्रदेश के किसानों को पूर्व की वसूली लंबित रखकर नए क्रण दिए जाएं, लेकिन बैंकों ने आरबीआई के निर्देशों को ताक पर रख दिया और ऐसे आपदाकाल में भी वसूली के लिए वे किसानों पर दबाव बना रहे हैं। जबकि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आलोक जंजन ने भी प्रभावित किसानों के क्रण पुनर्निर्धारित करते हुए उन्हें नए क्रण उपलब्ध कराने के निर्देश बैंकों को दिए थे, प्रदेश भर के ज़िलाधिकारियों से भी कहा गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि वसूली को लेकर किसानों का उत्पीड़न न हो। उल्लेखनीय है कि अंतिवृष्टि-ओलावृष्टि से प्रदेश के प्रभावित किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 25 मार्च को प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया था।

एक अखिलेश और एक अरविंद

प्रा क्रितिक आपदा के शिकार उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 और 60 रुपये के चेक देकर अखिलेश यादव के राज में राहत देने की विचित्र व्यवस्था हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान करके लोगों को तुलना करने का घोका दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी रहेंगी। यह किसी राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। केजरीवाल ने अन्य मुख्यमंत्रियों के सामने यह कहते हुए चुनौती भी फैक्ट है कि दूसरे राज्यों की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं, जहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं?

फैजाबाद की रुदौली तहसील के वाजिदपुर गांव के किसान मोहम्मद साविर प्रकृति की मार से तबाह हो चुके हैं। पांच बीघा से अधिक खेत में खड़ी फसल बर्बाद होने पर उनकी तीन बीघा जमीन पर हुई बर्बादी के लिए 63 रुपये का चेक मिला है। मोहम्मद मुस्लिम को चार बीघा खेत पर हुई बर्बादी के लिए 84 रुपये का मुआवजा मिला है। ये नायक खास तौर पर इसलिए भी दिए गए, क्योंकि इन मुस्लिम किसानों को दी गई राहत राशि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम तुष्टिकरण की अपलियत है। अच्युत-धर्म के किसानों की तो बात ही अलग है। वाजिदपुर में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए कभी कोई प्रशासन का आदमी, नायब तहसीलदार या

लेखपाल नहीं आया, अन्य की तो बात ही छोड़ दें। इसी गांव में प्रधान का कब्रिस्तान है, जिसमें खेती नहीं होती। इस जमीन को भी खेत दियाकर आठ लोगों के नाम पर चेक बनाकर बांट दिए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गांव का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी और पुष्टि भी की।

विडवा यह है कि फैजाबाद के ज़िलाधिकारी का कांग्रेसमार देख रहे सीढ़ीओं अरविंद मलपा बांगी भी चेकों के ऐसे वीभस्त-वितरण को घोषर लायपावाही का नतीजा मानते हैं, लेकिन इससे वह भी कुछ नहीं कर सकते। किसानों के साथ हुए इस खिलवाड़ पर आल अधिकारी अपनी कुमार सिंह कहते हैं कि फसलों के नुकसान के सर्वेक्षण के लिए लेखपालों की टीम लागाई गई थी, जिन्होंने गलती से कब्रिस्तान को भी खेत दिया और चेक काट दिए। सिंह ने कहा कि लेखपालों की बाकायदा हस्ताक्षर की हुई रिपोर्ट है। कब्रिस्तान की जमीन को खेती योग्य जमीन दियाकर दिए गए चेकों की जांच कराई जा रही है। प्रशासनिक अराजकता का यह आलम है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदाकाल में बड़ी धनराशि बोर्ड के उनके पास कांडा कोडू नहीं है। प्रकृति के साथ-साथ साधारण कारबाहों और बैंकों से लिए गए कर्ज उन्हें मौत का राशा दिखा रहे हैं। साठूकारों और बैंकों ने किसानों का जींगा हाराया दिखाया है। प्रदेश का कांग्रेस-कांग्रेस प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले बुलंदशहर के तीन लाख से ज्यादा किसानों पर वैंकों का साड़े चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अधिकारी किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बाबादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया। अब किसानों ने जनता कर रखा है।

प्रदेश का कांग्रेस-कांग्रेस प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले बुलंदशहर के तीन लाख से ज्यादा किसानों पर वैंकों का साड़े चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अधिकारी किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बाबादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया। अब किसानों ने जनता कर रखा है।

प्रदेश का कांग्रेस-कांग्रेस प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले बुलंदशहर के तीन लाख से ज्यादा किसानों पर वैंकों का साड़े चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अधिकारी किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बाबादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया। अब किसानों ने जनता कर रखा है।

प्रदेश का कांग्रेस-कांग्रेस प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले बुलंदशहर के तीन लाख से ज्यादा किसानों पर वैंकों का साड़े चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अधिकारी किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बाबादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया। अब किसानों ने जनता कर रखा है।

प्रदेश का कांग्रेस-कांग्रेस प्रत्येक किसान कर्ज के बोझ से दबा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अकेले ज़िले बुलंदशहर के तीन लाख से ज्यादा किसानों पर वैंकों का साड़े चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अधिकारी किसानों ने बीज, खाद और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फसलों की बाबादी ने उस कर्ज को उनकी मौत का सामान बना दिया

विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव

धन और बाहुबल की आजमाइश

पिछले विप चुनाव में जिस दल ने अधिक संख्या में धनबलियों-बाहुबलियों का समर्थन किया, उसका सफलता का प्रतिशत उतना ही अधिक रहा और कमोबेश सभी दल इसी पुराने फॉर्मूले को इस बार भी आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन में धन-बल को तव्वजो दी जा रही है। सभी दलों ने 'लोहा से लोहा काटने' को विप चुनाव की सफलता का सूत्र मान लिया है, जिसके तहत जिन दलों में धन-बाहु की कमी है, उसमें सदस्यों को आयात करने पर जोर दिया जा रहा है।



प्रियदर्शी रंजन



हार विधान परिषद के स्थानीय निकाय का चुनाव एक ऐसा अनोखा चुनाव है, जिसमें न ज्यादा शोर-शराबा होता है, न आम चुनाव की तरह सभाएं होती हैं, न रैलियां होती हैं, न बड़े नेताओं का भाषण होता है और और जो नोट से तीलने की कोशिश की जाती है, बोटों की बाली लगती है। हर बोट की एक तय राशि प्रत्याशियों द्वारा अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय कर दिया जाता है और जो नोट से तीलने की आजमाइश शुरू हो जाती है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने पहले करते हुए वोटरों के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। इससे धनबल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अन्यथा तय रेट पर सटिफिकेट जमा करने का दौर इस बार के लिए भी शुरू हो गया था। सटिफिकेट में फोटो नहीं रहने के कारण उसका बेजा इस्तेमाल धनबली प्रत्याशी करते आ रहे थे।



राजनीतिक पंडितों का एक खेमा यह मान कर चल रहा है कि विप चुनाव में जिस दल का अधिक सीटों पर कब्जा होगा, विधानसभा में भी सफलता के प्रतिशत की संभावना उसके लिए अधिक रहेगी। इसलिए सभी दल पुरुषों कोशिश में जुटे हैं कि विप चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर सफलता हासिल कर विरोधियों पर फाइनल से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल किया जाए। कुछ कमी रह जाए, तो वक्त रहते मुख्य मुकाबले से पहले ठीक-ठाक किया जा सके।

इस साल 24 सीटों के लिए जून के अंतिम सप्ताह या फिर जुलाई में होने वाले विप चुनाव कई मानने में महत्वपूर्ण है। हर दल विधानसभा चुनाव के मुख्य मुकाबले से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे विप चुनाव में खुद को आजमा लेना चाहता है। नीतीश कुमार का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव होगा। महाविलय का जमीन पर कितना असर पड़ा, वह इस चुनाव में साफ़ रहा जाएगा। राजद और जदू की मिलीजुली ताकत की पहली परीक्षा इसी चुनाव में हो जाएगी।

भाजपा यह अंकनीति का दिल्ली की आजमा के बाद भी मोटी लहर कायम है या ठहर गई। लोजपा को भी आजमाने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन आजमाने के लिहाज से डबा अवसर मांझी के हम मोर्चा समर्थन उम्मीदवार व तीन सांसदों की पार्टी रालोसपा के पास ज्यादा होगी। हम मोर्चा समर्थन व रोलोसपा को पहली बार स्थानीय निकाय क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने का मौका मिलगा। एनडीए के बीच तालमेल की भी पहली परीक्षा इस चुनाव में हो जाएगी। देखना होगा कि भाजपा, लोजपा और रालोसपा मिलकर चुनाव में उत्तरते हैं या फिर तीनों अपनी-अपनी ताकत को आजमाएंगे।

हम मोर्चा दो-एक सीटों के बदलकर चुनावी जीत का श्रीगणेश करना चाहेंगे, तो रालोसपा के पास लोस चुनाव में मिले शत-प्रतिशत सफलता के जादू को भुनाने का मौका होगा। राजनीतिक पंडितों का एक खेमा यह मान कर चल रहा है कि विप चुनाव में जिस दल का अधिक सीटों पर कब्जा होगा, विधानसभा में भी सफलता के प्रतिशत उम्मीदवारों के चयन में धन-बल को तव्वजो दी जा रही है। सभी दलों ने 'लोहा से लोहा काटने' को विप चुनाव की सफलता का सूत्र मान लिया है, जिसके तहत जिन दलों में धन-बाहु की कमी है, उसमें सदस्यों को आयात करने पर जोर दिया जा रहा है। मसलन, सारण लोकसभा क्षेत्र से जदू के निवर्तनाम विधान परिषद सदस्य धनबली सलीम परवेज को भाजपा लोकसभा देने के लिए जदू से ही आयात सचिवानंद राय को भाजपा समर्थन देने का मन बना रही है। सलीम परवेज व सचिवानंद राय दोनों ही धनबली हैं। राजनीति का शौक पालने वाले राय कोलकाता के जाने-माने

उच्च सदन की गरिमा बचाना चाहता हूं : अनिल कुमार

बिहार बिल्डर ऐशोसिएशन के अध्यक्ष व चर्चित समाजसेवी अनिल कुमार आरा-बक्सर स्थानीय निकाय क्षेत्र से उच्च सदन में जाने हेतु भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। उनका मुकाबला वर्तमान विधान परिषद सदस्य हुलास पाइय से होने के आसार हैं। बाहुबल बनाम समाजसेवी के इस मुकाबले में जीत किसकी होगी, यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, मगर अनिल कुमार ने अपने जीत का दावा ठोक दिया है। अनिल कुमार से बातचीत के कुछ अंश :

राजनीति में आने व विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र का चुनाव लड़ने का फैसला आपने अचानक क्यों किया?

-जहां तक राजनीति में मेरे प्रवेश का सवाल है, कह सकते हैं की अचानक हुआ है, लेकिन मैं पिछले काफी अर्से से राजनीति पर नजर रखे हुए था। खासकर उच्च सदन पर। जिस उच्च सदन को अनेक महान लोगों ने सुशोभित किया, आज वहां अच्छे लोगों की कमी है। समाज के हर योग्य व्यक्ति को उच्च सदन की गरिमा बचाने का प्रयास करना चाहिए। मैं वही कर रहा हूं, बैठ कर आलोचना करने की जगह उच्च सदन को शुद्ध करने के लिए मैंने एक कदम भर बढ़ाया है। मतदाताओं के रुझान से लगता है कि चुनाव जीतने में कामयाब होंगे।

आपने आरा-बक्सर को ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना?

-यह मेरा गृह क्षेत्र है। किसी भी कार्य का आगाज घर से करना शुभ होता है और इस क्षेत्र को एक ऐसे नुमाइंदे की सख्त जरूरत है, जो समस्याओं को उच्च सदन में बेहिचक रख सके। गैंगवार, जातिवाद, नशाखोरी जैसे अनेक समस्याओं से घिरे इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है। बदलाव तभी संभव होगा, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नुमाइंदे उनके दर्द को सदन में उठाने के साथ इसके निवारण के लिए संघर्ष कर सकेंगे।

आप समाज सेवा के माध्यम से भी तो समस्याओं के खिलाफ संघर्ष कर सकते थे?

-सिर्फ खिलाफ से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए संवैधानिक ताकत चाहिए। संवैधानिक ताकत के सही इस्तेमाल से वर्षों में दूर होने वाली समस्याओं को यहींनों में निपटाया जा सकता है। बशर्ते जनता के नुमाइंदे में काम करने की इच्छा हो।



बिहारी समैन हैं। बिहार में उनका ट्रांसपोर्ट का व्यावसाय व शिक्षण संस्थान है। धनबल-बाहुबल का इससे भी स्थानीय निकाय से लगाया जा सकता है। नालंदा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है और साथ में यह भी कि बिना उनके चाहे यहां कोई वार्ड कमिशनर तक नहीं बन सकता। विधायक, सांसद, विधान परिषद चुनाव में तो नीतीश की इच्छा के बगे फतह हासिल करना लगभग असंभव सा ही है। इसी नालंदा में पिछले चुनाव में जदयू के डॉ. कुमार पुष्टंजय को राजद-लोजपा समर्थनी बाहुबली राजेश कुमार सिंह उर्जा राजद लोजपा के बाद जाते 2009 विप चुनाव के चयन के तीत में से एक थी। नीतीश के गढ़ में बाहुबल के द्वारे राजद-लोजपा ने परस्मय लहरा दिया था। शिक्षा क्षेत्र के बड़े कारोबारी पुष्टंजय नीतीश के गढ़ में जदयू के निशान पर मात खा गए, तो इसकी जहज उनके बाहुबल में पिछड़ा चुनाव के खोटों की खीरद में कंजसी बताया गया। राजू यादव अपनी सीट को बचाने के लिए फिर मैदान में हैं, जहां इसका मुकाबला पुराने प्रतिद्वंदी से तो नहीं, मगर कई अन्य धनबलियों से हो सकती है। जमुड़े के जाने-माने समाजसेवी अशोक कुमार सिंह भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उत्तरने को तैयार हैं। संजय कुमार से उनका कड़ा मुकाबला होना तय माना रहा है। अशोक सिंह के बाहुबली में विनाद दिया है। अपने विकास कार्यों और सुलभता के कारण काफी लोकप्रिय हैं और पूरे मनोरोग से चुनावी अखाड़े में उत्तरने हैं। विनाद सिंह कहते हैं कि जनता, नीतीश कुमार और अब लालू प्रसाद का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, इसलिए पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर जनता और इस क्षेत्र की सेवा का मौका मुझे जरूर मिलेगा।

ये कुछ-एक सिट तो बानारी मार हैं, पूरी फैहरिस्त ही धनबलियों-बाहुबलियों से अटी पड़ी हैं। चाहे वह सीधावान का क्षेत्र हो, पूर्णी चंपारण का क्षेत्र हो, आरा का क्षेत्र हो, भोला का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र। सभी जागू मुख्य मुख्यमंत्री की बीच ही हैं। सीधावान में वर्तमान विप सदस्य व शराब माफिया दुन्ना पांडेय का मुकाबला वाहुबलियों-धनबलियों के बीच ही है। सीधावान में वर्तमान विप सदस्य व शराब माफिया दुन्ना पांडेय का विवाहित दोनों के बाहुबली को मैदान के बाहुबली-धनबली भावाया जा सकता है। बालू घोटाला व टोर्ट विप सदस्य सलमान राजीव को टक्कर देने के लिए विवाही इसी के कद के बाहुबली को मैदान में उतारने के फिराक में हैं। पटना क्षेत्र से विप सदस्य जदयू के बालीकी सिंह को चुनावी के लिए भाजपा शराब माफिया भोला यादव को समर्थन देने पर विचार कर रही है। रुनी सैदपुर से विधायिका गुड़ी चौधरी के पति राजेश की पत्नी विप सदस्य रेणु सिंह के पति राजेश के लिए विप सदस्य सलमान राजीव को बेचने क



दसअसल, आरबीआई द्वारा स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं के आयात जैसे ऐगुलेशन (विनियमन) लगाने से वांछित नतीजे प्राप्त हुए और स्वर्ण आयात में जल्द ही दोगुनी कमी आ गई। समान ऐगुलेशन (विनियमन) होने की वजह से वित्तीय वर्ष 2014 के लिए चालू खाते का बाटा सकल बरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में इस विनियमन को ४ तम कर दिया है और मीडिया एपिरेटों की मानें, तो स्वर्ण आयात में एक बार फिर उछाल आ चुका है। नतीजतन, वित्तीय वर्ष के मौजूदा तिमाही में चालू खाता बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है। इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने स्वर्ण आयात कम करने के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित तीन सुझाव दिए हैं।

सोना आयात कम करने की राह में रुकावटें



एक और बात कि स्वर्ण जमा करने और ठधार देने की प्रस्तावित योजना वस्तुतः प्रभावी होगी या नहीं, इसका दारोमदार पूरी तरह से इस बात पर है कि भारत में सक्रिय गोल्ड ट्रेडिंग (जिसमें मंदिरिया बिक्री और बॉन्ड क्रय-बिक्री और स्वर्ण खदानों के लिए ग्लोबल स्केलिंग शामिल हों) लागू कर पाते हैं या नहीं, लेकिन भारतीय पृष्ठभूमि में यह सारी चीजें नहीं हैं. ऊपर लिखित कारणों से सरकारी गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मौद्रिकण्या योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी.



इसका मुख्य कारण यह था कि मौजूदा आयात विनियमन (आरबीआई का फेमा मास्टर सर्कुलर) में स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं (जिनमें आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं) के मुकाबले अधिक तरजीह दी गई है। इस विनियमन में स्वर्ण आयात की अनुमति तीन बुनियादों पर दी गई है : 1. कन्साइनमेंट के आधार पर 2. निर्धारित मूल्य के आधार पर 3. धातु-लोन के आधार पर। ऐसी प्राथमिकता से विदेश से सोना भेजने वाले के लिए स्वर्ण आयात से संबंधित मूल्य और मुद्रा का जोखिम समाप्त हो जाता है और इसका सारा जोखिम सोने के गहने खरीदने वालों पर आ जाता है। यह स्थिति कोयला, खाद्यान तेल के लिए नहीं होती, क्योंकि यह वस्तुएं सीधे तौर पर आयात की जाती हैं। लिहाज़ा, मैंने दिसम्बर 2012 में रिझर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉ। सुब्बाराव और मौजूदा गवर्नर डॉ। रघुराम राजन को सुझाव दिया था कि स्वर्ण और दूसरी वस्तुओं का आयात फेमा के प्रावधानों के मुताबिक किया जाए। दरअसल, आरबीआई द्वारा स्वर्ण आयात को दूसरी वस्तुओं के आयात जैसे रेगुलेशन (विनियमन) लगाने से वांछित नतीजे प्राप्त हुए और स्वर्ण आयात में जल्द ही दोगुनी कमी आ गई। समान रेगुलेशन (विनियमन) होने की वजह से वित्तीय वर्ष 2014 के लिए चालू खाते का घाटा सकल घेरेलू उत्पाद का 1.7 प्रतिशत रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने अभी हाल ही में इस विनियमन को छ तम कर दिया है और मीडिया रिपोर्टों की मानें, तो स्वर्ण आयात में एक बार फिर उछाल आ चुका है। नतीजतन, वित्तीय वर्ष के

मौजूदा तिमाही में चालू खाता घाटा बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है। इस पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री ने स्वर्ण आयात कम करने के लिए अपने बजट भाषण में निम्नलिखित तीन सुझाव दिए हैं।

भारत स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हर साल 800 से 1000 टन स्वर्ण का आयात करता है। हालांकि भारत का स्वर्ण का कुल स्टॉक 20000 टन है, लेकिन इस स्वर्ण का न तो व्यापार होता है और न ही इसे मुद्रीकृत किया गया है। इसलिए मेरे

(क) एक स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनीटाइज़ेशन स्कीम) लागू करने का प्रस्ताव है, जो मौजूदा गोल्ड डिपॉजिट और गोल्ड मेटल लोन योजना का स्थान लेगा। नई स्कीम के तहत स्वर्ण जमाकर्ता अपने मेटल (धातु) एकाउंट्स पर ब्याज हासिल करेगा और लोन भी हासिल कर सकता है।

(ख) इसके अतिरिक्त स्वर्ण खरीदने के विकल्प के तौर पर एक वैकल्पिक वित्तीय सम्पत्ति (सरकारी गोल्ड

बॉन्ड के रूप में) विकसित की जाए। इस बॉन्ड पर एक सीमित व्याज निर्धारित होगा और स्वर्ण के बाज़ार भाव के मुताबिक कभी भी मुद्रा में भुनाया जा सकेगा।

(ग) अशोक चक्र वाला स्वर्ण का भारतीय सिक्का ढाला जाए। इस तरह के स्वर्ण का भारतीय सिक्का विदेशों में ढाले गए सिक्कों की मांग को कम कर देगा। साथ ही देश में उपलब्ध स्वर्ण को रीसायकल करने में

भी सहायक होगा। प्रस्तावित सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम अपनी डिजाइन और तर्क में विल्कुल गोल्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेर फंड) की तरह है। अंतर केवल इतना होगा कि गोल्ड ईटीएफ ब्याज नहीं देता, लेकिन डीमेट फॉर्म (अभौतिक रूप) में रखे गए स्वर्ण के निवेश से हासिल रिटर्न निवेशक को आदा करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सभी 14 गोल्ड ईटीएफ 40-50 टन से अधिक स्वर्ण नहीं रखते, जो वित्त मंत्री के बजट भाषण में बताए गए कुल 800-1000 टन आयातित स्वर्ण का केवल 5 प्रतिशत है। लिहाजा, गोल्ड ईटीएफ स्वर्ण धातु की मांग को छ त्प नहीं कर पाता और इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण धातु निवेशकों के लिए सोने की मांग का एक विकल्प बन जाता है। इस प्रस्तावना के गंभीरता को ऐसे समझा जा सकता है कि स्वर्ण का मूल्य 70 के दशक के आखिरी वर्षों में सबसे अधिक 850 डॉलर प्रति ओजेंड (आउंज़) से घट कर 90 के दशक में 270 डॉलर प्रति ओजेंड और फिर सितम्बर 2011 में सबसे अधिक 1920 डॉलर पर पहुंच गया। स्वर्ण की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसके पीछे तर्क यह है कि अगर हम एक बार फिर यह मान लें कि गोल्ड बॉन्ड 1000 टन स्वर्ण आयात की मांग के बराबर होगा, तो बॉन्ड भुनाने वे समय इसका कुल धाटा 25 अरब डॉलर होगा। यही नहीं सरकारी गोल्ड बॉन्ड के बड़े निवेशक की वजह से स्टॉक मार्केट में इनकी कीमतों में परिपक्वता के समय तेज़ी से वृद्धि करवा सकते हैं। इसकी वजह से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

फरवरी 2013 में कॉमोडिटी एक्सचेंज के किसी विशेषज्ञ ने ऊपर बताए गए गोल्ड बॉन्ड जैसे ही एक बॉन्ड का प्रस्ताव रखा है। उनका प्रस्ताव है कि सरकारी गोल्ड बॉन्ड से प्राप्त राशि का निवेश बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं में किया जाए और बॉन्ड का लाभ धारक को बिना मूल्य जोखिम के या घाटे के दिया जाए। मूल्य जोखिम को कम करने के लिए गोल्ड कॉल ऑस्यन (यानी स्वर्ण खरीदने का विकल्प) खुला रखना चाहिए। लेकिन स्वर्ण खरीदने का यह विकल्प, जिसमें 1000 टन वार्षिक स्वर्ण आयात की मांग की आवश्यकता होती है सिद्धांत रूप से तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में प्रभावकारी नहीं है। यह सरकार पर भी उतना ही लागत होता है, जो स्वर्ण की मूल्य वृद्धि के जोखिम को स्वयं वायदा खरीद कर कम करना चाहती है। खरीद का विकल्प और स्वर्ण वायदा दोनों का जोखिम कम करने का अनुपात 1 होगा, जिसका मतलब होगा कि 1000 टन स्वर्ण की मांग होगी और यह मांग सरकारी बॉन्ड के बजाए स्वर्ण धातु बाज़ार से पूरी होगी, जिसके लिए स्वयं आयात करना पड़ेगा। यह वायदा कारोबार, जोखिम में कमी और मूल्य निर्धारण का बुनियादी सिद्धांत है, जो एक मूल्य के आधार पर संचालित होती है। दूसरे शब्दों में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई संपत्ति है जो गोल्ड बॉन्ड का प्रतिलाभ देने के योग्य है, तो वह ही गोल्ड यानी स्वर्ण, लिहाज़ा, प्रस्तावित सरकारी गोल्ड बॉन्ड वास्तविक नहीं हो सकता।

अब दूसरे बजट प्रस्ताव यानी 20000 टन घरेलू स्वर्ण भंडार के तथाकथित मौद्रिकरण का रुख करते हैं, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बिल्कुल सही कहा कि न तो इसका व्यापार हुआ है और न ही मौद्रिकरण पूरी दुनिया के स्वर्ण भंडारों और न्यूयॉर्क, लन्दन सिंगापुर और हांगकांग के कर्जदाता बाजार की खास बात यह है कि उधार स्वर्ण की मांग मंदिरिया बिक्री (शोर्ट सेलिंग) करने वालों और बड़े स्वर्ण खनिकों की तरफ से आती है। विशेष रूप से मंदिरिया बिक्री की उत्पत्ति सद्बैजाँ, बचाव कोष (हेज फंड) और अन्य लोगों द्वारा स्वर्ण भाव में गिरावट पर सद्गु लगाना, ताकि इसकी वजह से कम कीमत पर स्वर्ण खरीद कर लाभ कमाया जा सके, लेकिन मंदिरिया बिक्री में एक तरह का अनुशासन होता है, इसलिए मंदिरिया बिक्री में देने के लिए बिक्रेता को आवश्यक रूप से स्वर्ण धातु उधार



लेना पड़ता है, जिसकी भरपाई कुछ समय बाद स्वर्ण की पुनः खरीद के बाद हो जाती है।

स्वर्ण धातु की मंदिर्या बिन्नी की एक और वजह बाज़ार के भागीदारों द्वारा नकदी वायदा कारोबार में शामिल होना है। यह उस वक्त होता है, जब स्वर्ण वायदा मौजूदा बाज़ार भाव से सस्ता होता है। इसमें वे सस्ता स्वर्ण वायदा (फ्लूचर गोल्ड) खरीदते हैं और हाज़िर बाज़ार (स्पॉट मार्केट) में बेच देते हैं और फिर हेज मार्केटिंग के जरिया परिपक्वता पर बिना किसी जोखियम के मुनाफा कमाते हैं। इस तरह का व्यापार उस वक्त तक जारी रहता है, जब तक मूल्य में फर्क बना रहता है। चूंकि पूरी दुनिया में ऐसे उधार स्वर्ण की बहुत अधिक मांग है, इसलिए इसकी आपूर्ति बैंकों में जमा या लोन मार्केट के स्वर्ण से होती है। बैंकों में जमा और उधार दर लागू होते हैं, जिसे गोल्ड लीज रेट कहते हैं। दूसरी तरफ जब बाज़ार का भाव ऊपर चढ़ता है, तो स्वर्ण का भाव भी ऊपर चढ़ता है। ऐसे समय में उधार स्वर्ण की मांग आमतौर पर कम रहती है, इसलिए गोल्ड लीज रेट भी कम रहता है। यह गोल्ड लीज रेट सिद्धांत रूप में मुद्रा व्याज दर का मामूली हिस्सा होता है। फ़िलहाल यह 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 1 साल में क्रमशः 0.09 प्रतिशत, 0.11 प्रतिशत, 0.25 प्रतिशत और 0.40 प्रतिशत रहा है।

जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है कि मंदड़िया बिक्री और बॉन्ड के क्रय-बिक्री करने वाले के आलावा एक और प्रकार का स्वर्ण धातु का कर्जदाता होता है, जो बड़े स्वर्ण खनिक होते हैं. ये लम्बी अवधि तक स्वर्ण उधार लेते हैं, ताकि उसे बाजार में बेच सकें और उससे हासिल पूँजी को नये खदान में लगा सकें. सोने के मूल्य से संबंधित प्राकृतिक हेज बना सकें, जिसमें मूल्य वृद्धि का कोई जोखिम भी नहीं हो.

उल्लेखनीय रूप से सोनार को स्वर्ण उधार देने को स्वर्ण धातु ऋण कहना विरोधाभाषी है, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर स्वर्ण की खरीद-बिक्री है। जमा करने और कङ्ज के लेन-देन में जो भी उधार लिया जाता है, उसे वापस भी करना पड़ता है। इसलिए यह समझने में कोई अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तावित मौद्रिकरण योजना से वांछित नतीजे नहीं हासिल होंगे।

हासल होगा।
एक और बात कि स्वर्ण जमा करने और उधार देने की प्रस्तावित योजना वस्तुतः प्रभावी होगी या नहीं, इसका दारोमदार पूरी तरह से इस बात पर है कि भारत में सक्रिय गोल्ड ट्रेडिंग (जिसमें मंदडिया बिक्री और बॉन्ड क्रय-बिक्री और स्वर्ण खदानों के लिए ग्लोबल स्केलिंग शामिल हों) लागू कर पाते हैं या नहीं, लेकिन भारतीय पृथग्भूमि में यह सारी चीज़ें नहीं हैं। ऊपर लिखित कारणों से सरकारी गोल्ड बॉन्ड और स्वर्ण मौट्रिकरण योजनाएं सफल नहीं हो पाएंगी। दरअसल, जो कदम कारगर हो पाएंगा, वह है वर्ष 2013-14 में आरबीआई द्वारा लागू किए गए स्वर्ण आयात के लिए भी दूसरी वस्तुओं की तरह समान शर्तें लागू की जाएं और स्वर्ण का आयात कन्साइनमेंट के आधार पर, अनिर्धारित मूल्य के आधार पर और धन लोन के आधार पर तंत्र किया जाए।

(लेखक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निवेशक हैं)

कुष्ठ रोग के लिए बनी अवधारणा के लिए केवल समाज या कानून बनाने वाले लोगों को ही पूरी तरह से दोषी नहीं कराए दिया जा सकता है। क्योंकि यह लुभालूत से फैलने वाली एक लाइलाज बीमारी है और इससे ग्रसित व्यक्ति अपंग भी हो जाता है। इससे खतरे की वजह से कुष्ठ रोगी को समाजिक बहिस्कार का समाना करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कुष्ठ रोग जो कुछ वर्ष पहले तक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी अब इसका पूर्णतः लाइलाज संभव है। इसलिए इस बीमारी को कलंक के तौर पर देखने की अवधारणा पर भी पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसी वजह से बेकार और बेमतलाब कानूनों को कानून की किटाब से खत्म करने की शिफारिश करने के लिए पूर्व न्यायाधीश अंजित प्रकाश शाह की अध्यक्षता में गठित 20वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट नंबर 256 में कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ ऐसे कानूनों की है, जो अब बेकार हो चुके हैं। आयोग ने इन भेद-भाव से पूर्ण कानूनों में संशोधन करने और नियन्त्रण करने का सुझाव रखा है।

ये कानून कोड़ में खाज जैसे हैं



आयोग ने कई पर्सनल लॉ में बदलाव करने और उन्हें नियन्त्रण करने की सिफारिश की है। दिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1)(4), मुस्लिम विवाह विभिन्न अधिनियम, 1939 की धारा 2 (6), भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 10(1)(4), विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27 (जी) और हिंदू तत्त्व-ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम 1956 की धारा 18 (2)(सी) के मुताबिक पति पत्नी में से कोई भी यदि कुष्ठ रोग ग्रसित है तो वह तलाक का आधार हो सकता है। कानून की किटाब में इन कानूनों को शामिल करने की जो सब से खास वजह थी, वह भी इस रोग के फैलाव को रोकने की। अब जबकि यह रोग लाइलाज नहीं रहा तो इन कानूनों का कोई औन्तिक्य ही नहीं है। दरअसल इनके बने रहने से कुष्ठ रोगियों के प्रति जो पूर्वग्रह समाज में बने हुए हैं, वह कभी समाज नहीं होंगे। उसी तरह से भीख मांगने के कानून हैं। जिनके मुताबिक अगर कुष्ठ रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो कुष्ठ रोगी और उससे संबंधित व्यक्ति को उनके लिए कुछ सुझाव दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कानूनी सेवा अधिनियम 1987, मोटर वाहन अधिनियम 1988, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का विधेयक 2014, राज्य नगर नियम और पंचायती राज्य अधिनियमों के भेद-भाव पूर्ण प्रावधानों में संशोधन की शिफारिश आयोग ने पेश की है।

अंत में आयोग ने इस संबंध में एक नया विधेयक लाने और इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों का जीवन बेहतर बनाने और उन्हें सामाजिक उन्नति देने के लिए कुछ सुझाव दिया है। जिसमें भेद-भाव खत्म करने, भूमि का अधिकार देने, रोजगार हासिल करने का अधिकार देने, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने, पूर्वग्रह से ग्रसित भाषा समाप्त करने और आजादी से कहीं आने-जाने और इलाज में रियायत देने और सामाजिक चेतना को जगाने का सुझाव दिया है। जाहिन है जब दुनिया के बहुत सारे देश इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं तो भारत को भी इस बीमारी से जूँड़ रहे लोगों की भी ज़रूरी इस लिए भी हो जाता है क्योंकि विधि आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले वर्षों में इस रोग में ग्रासित हो जाते हैं। जो शर्मनाक भी है और चिंता जनक भी। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्नति ग्राहकम (एनएलईपी) के मुताबिक भारत में हर साल कुष्ठ रोग के 1.25 से 1.35 लाख नवे सामले सामने आते हैं, और उनमें सबसे अधिक संख्या वर्षों की होती है। कुष्ठ से संबंधित कानूनों कि वजह से वे बहुत कम आयु में ही भेद-भाव के शिकायत हो जाते हैं। हालांकि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति का जीवन स्तर सुधारने की राह में सामाजिक रूप से बड़ी बाधा है, लेकिन इस संबंध में आयोग द्वारा चिन्हित किये गए कानून से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कानून कोड में खाज के जैसे हैं।■

नाजियों को दी मनोवैज्ञानिक शिक्षा



रोम में रहने के दौरान बारबरा ने जर्मन बंदियों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई। जिसका इस्तेमाल उन्होंने काउंटरइंटेलिजेंस की तौर पर करना शुरू कर दिया। इस टीम के लिए जर्मन बंदियों को चुनने का कारण यह था कि इन बंदियों का इस्तेमाल करके आसानी से जर्मन सेना में संधे लगाई जा सकती थी। उन्होंने साउरक्राउत नाम का ऑपरेशन शुरू किया।

अलग तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

Mहिला जासूसों की अपनी इस शृंखला में हमने इसके पहले ऐसी कई जासूसों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जिन्होंने अपनी बहादुरी का जलवा दुश्मनों के समक्ष रणनीत्र में किया था। इस अंक में हम आपका परिचय एक ऐसी महिला से कराएंगे जिसने नाजियों के खिलाफ मनोवैज्ञानिक जंग की कामान संभाली थी और उन्हें पटकनी दी थी। उनका नाम था बारबरा लावर्स। बारबरा ने इल्ली में रहते हुए अपेक्षित मोरेल ऑपरेशन होते थे जिसमें शत्रु को सीधे युद्ध में परासत करने की बाजाए। उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। बारबरा ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था।

बारबरा का जन्म 22 अप्रैल 1914 को ब्रानो में हुआ था जो उस समय ऑस्ट्रिया-हंगरी राजतंत्र का हिस्सा था। बड़ी होकर वे एक वकील बनीं और द्वितीय विश्व युद्ध से टीके पहले उन्होंने पत्रकारिता के पेशे को अपना लिया था। बारबरा शादी के बाद बेलिजियन कांगों चली गईं और जैसे-जैसे विश्व युद्ध की बढ़ी व्यक्तियों की खुफिया शाखा ज्वाइन कर ली और अपनी सेवाएं देने के लिए रोम चली गईं। रोम में बारबरा ने नाजी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक चालें चलना शुरू की।

रोम में रहने के दौरान बारबरा ने जर्मन बंदियों को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई। जिसका इस्तेमाल उन्होंने काउंटरइंटेलिजेंस की तौर पर करना शुरू कर दिया। इस टीम के लिए जर्मन बंदियों को चुनने का कारण यह था कि इन बंदियों का इस्तेमाल करके आसानी से जर्मन सेना में संधे लगाई जा सकती थी। उन्होंने साउरक्राउत नाम का ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने इटली के उन सभी इलाकों में हिटलर के खिलाफ प्रोपर्गेंडा फैलाना शुरू किया, जिन इलाकों पर



मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया था। लोगों वहां के लोगों में हिटलर के खिलाफ कई तरह की गलत जानकारियां देना शुरू कर दिया। जिसमें लोगों में हिटलर के खिलाफ अधिक डर बैठ जाए और वो उसे और अधिक नापसंद करना शुरू कर दें।

बारबरा ने वहां पर लीग ऑफ लोनली वॉर वुमेन नाम की संस्थान भी बनाई थी। यह एक छोटी संस्था थी जिसका निर्माण नाजी सैनिकों को होतोस्याहित करने के लिए किया गया था। इसके जरिये बारबरा नाजी सैनिकों की पलियों की तरफ से छोटम चिट्ठियां लिखवाया करती थीं। इन चिट्ठियों में यह लिखा होता था कि नाजी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए अपने अधिकारियों से डिग्डने लगे। अधिकारियों के लिए इस स्थिति से निपटना मुश्किल होने लगा। सबसे मजेदार बात यह हुई कि उनके इस ऑपरेशन को वजह से एक वार ऑर्सिंगटन पोर्ट अखबार भी बेचकर बन गया था। ऑर्सिंगटन पोर्ट अखबार तक का चक्कर में पड़ जाना बारबरा के इस ऑपरेशन की कामयाबी को बयान करता है।

बारबरा ने एक और ऑपरेशन को कामयाब बनाया था जिसके लिए उन्हें ब्रान्ज क्रास दिया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान बारबरा ने सैनिकों की एक टुकड़ी के दिमाग में ऐसी विशेष बातें भरी थीं कि इन सैनिकों ने जर्मन सेना का साथ देने से इंकार कर दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया था।

बारबरा ने एक और ऑपरेशन को कामयाब बनाया था जिसके लिए उनकी पत्नीया उनसे बेवफाई कर रही हैं। दरअसल यह खबर अखबार को इटली में ही एक सर्कुलर से मिली थी जिसे जर्मन सैनिकों के लिए लिखा गया था। लेकिन वास्तविकता में वह सर्कुलर तो बारबरा ने हासिल करने के बाद बारबरा ने जर्मन सेना का साथ देने से इंकार कर दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया था। जब रोम में रहने वाले लोगों वहां के लोगों में हिटलर के खिलाफ कई तरह की गलत जानकारियां देना शुरू कर दिया। जिसमें लोगों में हिटलर के खिलाफ अधिक डर बैठ जाए और वो उसे और अधिक नापसंद करना शुरू कर दें।



प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा

सफलता के दूर सोपान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपनी यात्रा के दौरान फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के साथ जो साझेदारी स्थापित किया, वह एक मिशाल है। आतंकवाद, रेलवे, सामरिक और अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में पीएम ने इन विकसित देशों से भारत के लिए जो निवेश आकर्षित किया, उससे आनेवाले समय में भारत इंप्रास्ट्रक्चर से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के नये सोपान तय करेगा, यह तय है।

राजीव रंजन



स, जर्मनी और कनाडा, ये तीनों देश जी-7 देश हैं तथा औद्योगिक लोकतंत्र भी हैं। इन देशों के साथ साझेदारी स्थापित करने में भारत का बड़ा अर्थिक हित है। वे हमारे अनेक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए फिट बैठते हैं। वे लोकतंत्रिक देश भी हैं। इसलिए, इस मायने में उनके साथ हमारा एक बड़ा राजनीतिक तालियन भी है। फ्रांस के साथ हमारे संबंध परंपरागत रूप से रक्षा, अंतरिक्ष एवं परमाणु के क्षेत्र में रहे हैं तथा ये तीनों इस संबंध के प्रमुख आयाम हैं। जहां तक रक्षा क्षेत्र का संबंध है, फ्रांस की कंपनियां इसमें बहुत सक्षम और अनुभवी हैं। भारत और फ्रांस के बीच 17 अग्रह समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। फ्रांस आने वाले समय में भारत में भारत की स्थापित करेगा। साथ ही वह भारत के तीन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगा। नागारु और पॉटिंघमेरी इस लिटर में शामिल हैं। मोदी को एक और सफलता हाथ लाई है कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांड को आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए राजी कर लिया है। मोदी ने कहा है कि फ्रांस की कंपनी रक्षा क्षेत्र में भारत का सहयोग करेगी और भारत में रक्षा उत्करण बनाएगा। मोदी ने बताया कि भारत फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदेगा। भारत-फ्रांस सामरिक संबंधों को नये स्तर पर ले जाते हुए मोदी और ओलांड ने यूरोप में रुकी हुई जैतापुर परमाणु परियोजना पर आगे बढ़ने पर भी सहायता दी। मेक इंडिया को मुख्य विषय मानते हुए दोनों पक्षों ने असेंय परमाणु, शहरी विकास, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में कारीब 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जैतापुर परियोजना से कारीब 10 हजार में विकास क्षमता का बिजली उत्पादन होगा। फ्रांस ने भारत को अपने उस निर्णय के बारे में सूचित किया, जिसमें भारतीय पर्यटकों के लिए 48 घंटे में शीघ्र बीजा देने की योजना लागू करने की बात कही गई है।



दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से ग्रहों से संबंधित अभियान पर आगे बढ़ेंगे।

आगे हम जर्मनी की बात करें, तो भारत का पुरा फोकस विनिर्माण पर होगा। जर्मनी को विश्व में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माता के रूप में माना जाता है। वास्तव में, हन्नोवर फैयर से हमें जर्मनी की कंपनियों के साथ भारतीय कंपनियों की मैच मेंकिंग का अवसर प्राप्त भी हुआ। इसके अलावा, यह भी माना जाता है कि जर्मनी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास कार्यक्रम है, जो हमारे लिए फायदेमंद है। जर्मन कार्यक्रम का तीसरा बड़ा पहलू यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में वर्चस्व की उनकी स्थिति पर हम आस लगाए बैठे हैं। जर्मनी के

हन्नोवर में इस साल हन्नोवर फैयर है, जो भारतीय कंपनियों के निवेश की तलाश के लिए मार्केट समय और जगह प्रदान करता है। हन्नोवर को इस बजह से चुना गया है कि हन्नोवर मेस्से, जो इस साल हन्नोवर फैयर है, में हम पार्टनर कंट्री हैं। वहां हमारी भारतीय कंपनियों की बहुत बड़ी उपस्थिति है।

प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा भी काफी अहमियत रखती है, क्योंकि चालीस साल बाद यह कनाडा की प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बात्रा है। प्रधानमंत्री के स्तर पर पिछली बात्रा 1973 में हुई थी। इस प्रकार, यह 42 साल बाद हो रही है। वास्तव में हम कनाडा को निवेश, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने स्वयं के विकास संबंधी उद्देशों की पूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं। कनाडा विश्व

की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा, यदि हम परिसंचित्यों की दृष्टि से देखें, तो उनके पांच शीर्ष पेशन फंड अकेले ही लगभग 700 बिलियन डॉलर की परिसंचित्यों का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार, यहां निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। कनाडा ऊर्जा की दृष्टि से भी सुपर पावर है और यहां पर विश्व की सर्वोत्तम शोध संस्थाएं और विश्वविद्यालय स्थित हैं। दूसरी बात कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 1.2 मिलियन है, जो मायने रखती है। भारत और कनाडा जिस प्रौद्योगिकी का अनुसरण करते हैं, उसे पी एच डब्ल्यू आर (प्रैमराइड हैवी वाटर रिस्टर) कहा जाता है। कनाडा विश्व में यूरोपियन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वास्तव में, विश्व के प्रधानमंत्री नेट्रो मोदी के इस प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की मौजूदगी में केमों की और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने 35 कोरड डॉलर की यूरोनियम आपूर्ति के लिए एक सफल विश्वविद्यालय स्थित किया। इस नये कारोबार के तहत आगले पांच वर्षों में भारत, कनाडा से तीन हजार टन से ज्यादा यूरोनियम खरीदेगा। इसका इस्तेमाल भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में किया जाएगा।

रूस और कजाकिस्तान के बाद कनाडा तीसरा देश है, जो भारत को यूरोनियम की आपूर्ति करेगा। यूरोनियम आपूर्ति से भारत के हरित ऊर्जा मिशन को पुरा करने में मदद मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा मानवता के लिए हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है। स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लिए यूरोनियम बेहद जरूरी है। इस समझौते से हमारे व्यापार समझौते के बारे में भी प्रतिबद्धता जाताई है। और प्रधानमंत्री नेट्रो मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बाजार खोलने संबंधी इस समझौते की रूपरेखा सिंबंध रक्त तक तैयार कर ली जाएगी। मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय निवेश संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं। कनाडा विश्व

feedback@chauthiduniya.com

वया मोदी सरकार ने भारत-पाक बॉर्डर पर पाक प्रायोजित आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत ने जो सख्ती दिखाई है, उससे पाकिस्तान तिलमिला गया है? वया लखवी की रिहाई के पीछे भारत में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश है? आखिर वयों लखवी की रिहाई की खुशी में पाक में उसके घर पर पाकिस्तानी अधिकारियों और आतंकवादियों के बीच जमकर पार्टी हुई? मसला चाहे जो भी हो, लेकिन लखवी की रिहाई पर पाक सरकार के नायक इरादे को लेकर भारत सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जबरदस्त आलोचना हुई है।

चौथी दुनिया ब्लूटो

भी लक्षकर-ए-तैयारा के अपेक्षण कमांडर और 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी पर भी रिहाई हुई थी कि उसके तुरंत बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने मुंबई सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया। आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि एक लेटर मिला है, जिसके अनुसार दो से तीन महीने के अंदर मुंबई में बड़े पैमाने पर हमला हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि भारत के तमाम ऐराइजों के बावजूद खूबांग आतंकी लखवी जेल से बाहर आ कैसे गया? लखवी की रिहाई को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार की आतंकी रहमान लखवी की रिहाई की व्यवस्था तीव्र रूप से देखा जा रहा है। लखवी की रिहाई के पीछे आनेवाले दिनों में पाकिस्तान द्वारा भारत में किसी बड़े हमले की योजना भी हो सकती है। हालांकि भारत के सुरक्षा तंत्र ने एक आंकलन तैयार किया है,

आतंक फैलाने के लिए आज़ाद हुआ लखवी



यहां कि क्या उसके विरोध का असर पाकिस्तान लखवी पर किसी भी प्रकार से पड़ सकता है? इस पर उसका जवाब था कि उसने पाकिस्तान के समक्ष अपनी चिंता बताई है कि लखवी के रिहाई को उल्लंघन करते हैं। लेकिन वह किसी भी विदेशी के रिहाई को उल्लंघन करते हैं। उसने अंतरराष्ट्रीय समझौते से विकलान के दोहे मानदंड की ओर ध्यान दिलाया है। भारत यही गलत तरह है। एक बात तक समझ में देखे जानी है कि आतंकी हमलों के स्तर पर भारत के दोहे क्यों कर रहा है कि उस पर आतंकी हमलों का असर विदेशों पर नहीं पड़ता। खासतौर पर उस समय तक जब तक कि वह देश भी पाकिस्तानी या अन्य तरह के आतंकवाद का निरंतर भुक्तभोगी न हो। अगर यह बात सच नहीं होती तो आखिर अमेरिका का इसी रिश्ते पर असर पड़ता है। स्वाल यह उठाता है कि क्या पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते की परवाह है? क्या पाकिस्तान आतंक के रास्ते से विचार कर रहा है? इसका जवाब न में ही होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्तों के बाने या बिगड़ने की परवाह होती, तो वह भारत द्वारा दिए गए सबूत चाहे वह क्यों करेंगे। वेंविड हेडली की विवाद के बायान हों, की परवाह जरूर करता, लेकिन इसके उलट पाकिस्तान ने भारत द्वारा दिए गए किसी भी सबूत को तरह नहीं ही दी।

लखवी की रिहाई का विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के पड़ोसी मुल्क और लखवी की अपने ही देश पर विदेशी देशों में भी हो रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने लखवी की रिहाई को पाक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि लखवी की रिहाई से उसके लिए मुश्किल बढ़



तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो प्रयत्न द्वारा अंततः मुक्ति पा ही लेते हैं। लेकिन दोनों में एक श्रेणी और होती है जो खुद को बचाए रहती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह श्रेणी कैसी है? परमहंस देव बोले, हाँ, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रेणी के मनुष्य उन मछलियों के समान हैं जो जाल के निकट कभी नहीं आतीं और जब वे निकट ही नहीं आतीं, तो उनके फँसने का प्रश्न ही नहीं उठता।

साई का हर संदेश राह दिखाता है

**साई
भक्तों!**

आप भी चौथी
दुनिया को साई से
जुड़ा लेख या
संस्मरण भेज
सकते हैं। मसलन,
साई से आप कब
और कैसे जुड़े। साई
की कृपा आपको
कब से मिलनी
शुरू हुई। आप साई
को क्यों पूजते हैं।
कैसे बने आप साई
भक्त। साई बाबा
का जीवन और
चरित्र आपको
किस तरह से प्रेरित
करता है। साई
बाबा के बारे में
अनेक किंवदंतियां
हैं, क्या आपके
पास भी कुछ
कहने के लिए है?
अगर हाँ, तो
केवल 500 शब्दों
में अपनी बात
कहने की कोशिश
करें और नीचे दिए
गए पते पर भेजें।

र काकासाहेब का संदेह भी दू

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध
नगर), उत्तर प्रदेश, पिंज-201301
ई-मेल feedback@
chauthiduniya.com

साई के ज्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
 2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
 3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
 4. मन में स्ववना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
 5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
 6. मेरी शरणा आ स्थानी जाए हो कोई तो मझे बताए
 7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
 8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
 9. आ सहयता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
 10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
 11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा. अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवगव से पूछा कि क्यों

क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे उनसे ही सुनो। उसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र इच्छा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूं। पानी मेरी कमर तक है और अचानक जब मैंने ऊपर देखा, तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुएं। वे एक रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल के भीतर थे। यह दृश्य

लघु कथा

सबसे बड़ी बात

क दिन सुबह के समय परमहंस देव अपने
शिष्यों के साथ टहल रहे थे। तभी उन्होंने
देखा कि पास ही कुछ मछुआरे जाल
फेंक कर मछलियां पकड़ रहे हैं। वह अचानक ए
मछुआरे के पास पहुंचकर खड़े हो गए और अपने
शिष्यों से बोले, तुम लोग इस जाल में फंस
नहीं सकते।

मछलिया का गातवाधय
गौर से देखो. शिष्यों ने देखा
कि कुछ मछलियां ऐसी हैं
जो जाल में निश्चल पड़ी हैं।
वे निकलने की कोई कोशिश
भी नहीं कर रही हैं, जबविश्वा-
कुछ मछलियां जाल से
निकलने की कोशिश करती
रहीं। हालांकि, उनमें कुछ का
सफलता नहीं मिला, लेकिन
कुछ जाल से मुक्त होकर
फिर से जल में खेलने लगा-
एं।

जब परमहंस ने देखा कि शिष्य मछलियों को देखने में मग्न होकर दूर निकल गए हैं, तो फिर उन्हें अपने पास बुला लिया। शिष्य आ गए तो कहा, जिस प्रकार मछलियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं, वैष्णवी, वैदिकी, वैदिकी त्रैयो त्रैयो त्रैयो त्रैयो त्रैयो त्रैयो

उन मछलियों के समान हैं जो जाल के निकट कभी नहीं आतीं और जब वे निकट ही नहीं आतीं, तो उनके फँसने का प्रश्न ही नहीं उठता। ■

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चुनिंदा सत्य के ख्वतरे



अनंत विजय

Mराठी एक ऐसा शब्द है, जिसे महाराष्ट्र में राजनीति करने वाले सभी दल लगातार भुगते रहे हैं, भुगा रहे हैं और आगे भी भुगते रहेंगे। राजनीतिक दलों को लगता है कि मराठी अस्मिता के नाम पर वे जो भी कार्ड खेलेंगे, वह तुरुप का इक्का ही होगा। दरअसल, राजनीतिक दल अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बहुधा इस तरह की चाल चलते हैं, कभी-कभार अपनी नाकमियां छिपाने के लिए भी। इस तरह के हथकंडे अपना ए जाते हैं। महाराष्ट्र में मराठी और मराठा मानुष के नाम पर राजनीति की एक लंबी परंपरा रही है। आजांदी के बाद की परिस्थितियों में शिवसेना ने इसे काफी भुगाया और राज ठाकरे की राजनीति की तो बुनियाद ही मराठी अस्मिता रही है। हालांकि, पिछले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इस तरह की राजनीति करने वालों को उनकी सही जगह दिखा दी।

अब इसी मराठी भावना को भुगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीप्लैनर्स को शाम छह बजे से नौ बजे तक मराठी फिल्में दिखाने के फरमान जारी कर दिया। यह एसा फरमान था, जिसके खिलाफ बुद्धिजीवियों को मजबूती से ऊट खड़े होना चाहिए था। राजनीतियों से तो ऐसी अपेक्षा की नहीं जा सकती, क्योंकि जहां उन्हें संविधान और वोट बैंक में से किसी एक को चुनना होता है, तो उनकी प्राथमिकता वोट बैंक होती है। लेखकों की कोई मजबूती नहीं होती है, उन्हें तो सत्य के साथ होना चाहिए। इस बार भी लाभग्राही पूरा लेखक समाज चुप रहा, लेकिन अंग्रेजी की लेखिका एवं पत्रकार शोभा डे ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस फरमान पर तंत्र कस्ते हुए खिलाफ कि अब मल्टीप्लैनर्स की जगह मिसल और वडा पाव मिला करोंगे। इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट करके अपना विरोध जताया।

शोभा डे के ट्वीट के बाद आगबबूला शिवसेना ने उनके खिलाफ बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन शोभा अपने स्टैंड पर कायम रहीं। इसके बाद शोभा डे के खिलाफ शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हान का नोटिस तक डे डाला, लेकिन शोभा टस से मस नहीं हुईं। इस बीच शोभा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे, पुतले फूंके जाने लगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वडा पाव लेकर शिवसेना उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन हमारा लेखक नामदाय खामोश रहा। जिनका एक बात सरकार का सिनेमाधरों को मराठी फिल्मों के लिए बक्तव्य करना है, उससे ज्यादा चिंता की बात लेखक और बुद्धिजीवी समुदाय का इस मुद्रे पर खामोश रहना है। यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर देश भर के लेखकों को विचार करना होगा, गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा। इस तरह की खामोशी एक तरह से सरकारों को बल प्रदान करती है।

संविधान के नाम पर यथा लेकर सत्ताधीश बने नेताओं के हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि वे संविधान की परवाह करना छोड़ने की साचने लगते हैं, लेकिन एक शोभा डे की पहाड़ने में महाराष्ट्र सरकार फरमान बदलने के लिए मजबूर कर दिया। भारत में लेखकों एवं साहित्यकारों द्वारा सत्ता और उनके फैसलों के विरोध की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन हाल के दिनों में उसका क्षण रेखांकित किया जा सकता है। आजांदी के बाद लेखक समुदाय हर मसले पर अपनी राय रखता था और उसे प्रकट करता था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मशहूर कन्डू लेखक अनंतमूर्ति ने नंदें भोजी का विरोध किया था। यह अलहृदा बात है कि विरोध करने के लिए उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था, वे अनुचित थे। उन्होंने भोजी के जीतने पर देश छोड़ने की बात कह दी थी, जिस पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी।

राजनीति के आगे मशाल की तरह चलने वाला



शोभा डे के ट्वीट के बाद आगबबूला शिवसेना ने उनके खिलाफ बयानों की झड़ी लगा दी, लेकिन शोभा अपने स्टैंड पर कायम रहीं। इसके बाद शोभा डे के खिलाफ शिवसेना विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हान का नोटिस तक डे डाला, लेकिन शोभा टस से मस नहीं हुईं। इस बीच शोभा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे, पुतले फूंके जाने लगे, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वडा पाव लेकर शिवसेना उनके घर तक जा पहुंचे, लेकिन हमारा लेखक नामदाय खामोश रहा। जिनका एक बात सरकार का सिनेमाधरों को मराठी फिल्मों के लिए बक्तव्य करना है, उससे ज्यादा चिंता की बात लेखक और बुद्धिजीवी समुदाय का इस मुद्रे पर खामोश रहना है। यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर देश भर के लेखकों को विचार करना होगा, गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा। इस तरह की खामोशी एक तरह से सरकारों को बल प्रदान करती है।

साहित्य इन दिनों उसी राजनीति का शिकार हो गया है। सत्य और चुनिंदा सत्य में जो फूँक होता है, उसने साहित्य जगत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगर हम हिंदी साहित्य की ही बात करें, तो देखते हैं कि साठ व सरन के दशक के बाद से लेखक और विरोध में प्रतिरोध की खूब बातें हुईं। सत्ता के विरोध और प्रतिरोध के नाम पर जमकर सत्ता सुख भोगने के मामले भी सामने आए। प्रगतिशीलता, जनवाद आदि जैसे जुमले गढ़कर देश की जनता को जुमाह करने का खेल खेला गया। साहित्य में प्रतिशीलता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। साहित्य तो खुद प्रगतिशील होता है। दरअसल, यह पूरा खेल अपने राजनीतिक आकांक्षों के इशारे पर खेला गया था। लेखक संघ बनाए गए। जो भी लेखक संघ बने, वे किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहे और उनके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरह काम करते रहे, लेकिन जनता के सामने अपना दूसरा चेहरा पेश का उसे भरपाते रहे।

प्रगतिशील लेखक संघ भारतीय काम्युनिस्ट पार्टी का अंग रहा। उसी तरह जनवादी लेखक संघ सीपीएम का बौद्धिक प्रकोष्ठ बना रहा। जैसे-जैसे वामपंथी पार्टियों में विभाजन होते



रहे, उनके लेखक प्रकोष्ठ बनते रहे। जब सीपीएम में विभाजन हुआ, तो एक और बौद्धिक प्रकोष्ठ बना, जिसका नाम पड़ा जन संस्कृति संघ। दरअसल, हासाना मानना है कि लेखकों को इन बामदलों ने सिद्धांत, प्रतिरोध, गरीब, दबे-कुचले जैसे शब्दों के नाम पर अभियान किया और फिर उनका फायदा उठाया। जब ये लेखक संगठन इन पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ की तरह काम करने लगे, तो जाहिर है कि उनके विरोध और प्रतिरोध में भी अपने राजनीतिक आकांक्षों की मुहूर्देवी होने लगी। इसका सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि प्रातिशील लेखक संघ ने इमरेंजेंसी का समर्थन किया। इस तरह के इदं उडाहरण हीं। लेकिन उनका उल्लेख यहां आवश्यक नहीं है।

अब वह लेखकों की सही बात लगत है कि वे बारे उनकों की समस्ती के बारे उन्हें पार्टी के पद बाट रही हैं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां कवि राज्यवर्धन को बगर उनकी जानकारी और सूचना के राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। राज्यवर्धन ने फेसबुक पर इस बारे में लिखकर जानकारी साझा की है। पार्टियों के बौद्धिक प्रकोष्ठ बनन का नामिज यह हुआ कि लेखकों ने चुनिंदा सत्य बोलना शुरू कर दिया। चुनिंदा और सुविधामुखारा बोला गया सत्य झूट से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इन लेखक संगठनों से जुड़े रखनाकर तस्वीर नासरिन के मुद्रे पर खामोशी अखियार कर लेते हैं, लेकिन वहीं एमएफ हुसैन के मामले में जरावर विरोध करने वाले लोग सलमान रुझी के मामले में जरावर गोड़े का विरोध करने वाले लोग नासरिन के मामले में खामोश हो जाते हैं। क्या यह एक प्रकार की लेखकीय सांप्रदायिकता नहीं है?

कट्टरपंथी हिंदूदारी ताकतों के खिलाफ खड़े होने वाले लेखक मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े होने में घबराने लगते हैं, उनकी जुबान खामोश हो जाती है। ऐसे लेखकों को लगता है कि आग वे मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ बोलें, तो उन्हें सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। सांप्रदायिकता और फासीवाद की आड़ लेने वाले लेखक उसी का शिकार होते चले गए। इस तरह की प्रवृत्ति लें समय तक चलती रही, जिसका परिणाम

यह हुआ कि लोगों का लेखकों से भरोसा उठता चला गया। लेखक भी सत्ता के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय करने लगे। राजनीति के आगे चलने वाली मशाल सत्ता की पिछलगूँ बन गई। जब आप सत्ता के पिछलगूँ बनेंगे, तो फिर उसके खिलाफ बोलने के साहस का हास होता चला जाएगा। नतीजे के तौर पर हमें शोभा डे जैसे मामले देखने को मिलेंगे। शोभा डे के समर्थन में साहित्य जगत का न आना चाहिए। बर्तक उसी धारणा को पुष्ट करता है, दरअसल, आप हम पूरी गंभीरता से हिंदी के लेखकीय पारिवृश्य पर विचार करें, तो निराशाजनक तत्वीर सामरों और गार्ड और मठ को नारे की तरह इसमाल करने वाले लेखक गढ़ और मठ में शामिल होने की जगत में लग रहते हैं, कोई किसी अकादमी का सदस्य बनाना चाहिए है, तो कोई किसी सरकारी कमेटी में फिट होने के जुगाड़ में लग रहते हैं, कोई किसी वामपंथी की खामोशी के लिए अवश्यक नहीं है।

ऐसे परिदृश्य में यह अपेक्षा करना बेमानी है कि लेखक सरकारी फैसलों के खिलाफ बोलने की हितमत कर पाएं। सरकारी संवर्क्षण हासिल करने की लालना लिए घर रहे एसे लेखकों से जुड़े रखनाकर तस्वीर जा रही है। इसकी एतिहासिकता में आग जाए, तो इसके बीच इंदिरा गांधी के शासनकाल में दिखाई देते हैं, जब इमरेंजेंसी पूर्व ही उहाँने

स्वयं शिक्षण प्रयोग एक गैर सरकारी संगठन है, जो ग्रामीण विकास को समर्पित है और समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है।



स्मार्टफोन बनेगा मात्र

१याम सुन्दर प्रसाद

३१ प अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप में
Wireless Mouse का
आनंद लेना चाहते हैं या आप बैठे-बैठे
कम्प्यूटर या लैपटॉप पर मूँछी या किसी
अन्य प्रोग्राम जैसे गाने या धारावाहिक का
आनंद ले रहे हों और आपको किसी कारण
प्रोग्राम को बंद करना पड़े, चाहे आवाज
कम या ज्यादा करना हो या आप कम्प्यूटर
को बन्द करना चाहते हैं, तो किसी को
आवाज देते हैं कि वह आकार बंद कर दें
या आपको खुद उठकर बंद करने के लिए
जाना पड़ता है। लेकिन अब आपको उठने
या किसी और को आवाज लगाने की
जरूरत नहीं है। अब आप अपनी जगह पर
रहकर भी वायरलेस माउस का प्रयोग कर
कम्प्यूटर या लैपटॉप बंद कर सकते हैं। अगर
आपके पास वायरलेस माउस नहीं है तो
आप अपने स्मार्टफोन को बिना किसी
एक्स्ट्रा खर्च के वायरलेस माउस बनाकर
अपना काम आसानी से कर सकते हैं।

स्मार्टफोन को बनाए वायरल सेल माउस

आप अपने स्मार्टफोन को वायरलेस माउस में बदलने के लिए अपने कम्प्यूटर और एंड्रॉयड फोन में Android Mouse andKeyboard Apps (Android-Mouse 3.0) डाउनलोड करें। यह एप्प एंड्रॉयड फोन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कम्प्यूटर के लिए (Andromouse Desktop Server 3.0) आप एंड्रॉयड माउस के ऑफिशियल वेबसाइट (<http://www.andromouse.com/>) से डाउनलोड कर सकते हैं। कम्प्यूटर में जब आप Android Mouse and Keyboard Apps इनस्टॉल करेंगे तो यहां आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा, यह सभी कम्प्यूटर में यूनिक होता है इसे आप नोट कर लें। अब अपने एंड्रॉयड फोन में इस

एप्स को इनस्टॉल करें. जब आप ऐप्प इनस्टॉल करके उसे खोलेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन वाई-फाई और ब्लूटूथ आयेगा, यहां आप वाई-फाई को सेलेक्ट कर अपने कम्प्यूटर से प्राप्त किए गए आईपी एड्रेस को भर कर मोबाइल ऐप से केनेक्ट कर दीजिए. अब आपका स्मार्टफोन (एंड्रायड) बन गया बिल्कुल मुफ्त वायरलेस माउस.

एंड्रॉयड फोन को बनाएं वाई-फाई राउटर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शहरों में लगभग सभी घरों में इंटरनेट कनेक्शन के लिए राउटर या वाई-फाई लगे होते हैं। अगर आपका एंड्रॉयड फोन एक वाई-फाई हॉट स्पॉट/राउटर का काम करे और आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाई-फाई राउटर में बदल लेते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने फोन के डाटा का इस्तेमाल कर आप अपने घर या ऑफिस में मौजूद सभी वाई-फाई डिवाइस, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि चला सकते हैं और साथ ही आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों या करीबियों के साथ भी अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। स्मार्टफोन को राउटर या वाई-फाई बनाकर आप अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं।

कैसे बनाएं राउटर

सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फोन के मेन्यू बटन पर क्लिक करें और सेटिंग्स में जाएं। उसके बाद वायरलेस एंड नेटवर्क मेन्यू में जाकर टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करें (सैमसंग/माइक्रोमैक्स/शियोमी मोबाइल में मोर ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद (उसके अंदर ये ऑप्शन मिलेगा) टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑप्शन को क्लिक कर उसके अंदर जाकर हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग सेटिंग/सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट



आप ब्लूटूथ से आसानी
से अपने कांटेक्ट ट्रांसफर
कर सकते हैं, लेकिन जब
आपका फोन सही हो,
लेकिन अगर आपका
फोन टूट जाता है या
खराब हो जाता है तो इस
स्थिति में यह काम बहुत
मुश्किल हो जाता है,
इसलिये जरूरी है कि
अपने कांटेक्ट लिस्ट को
ऐसी जगह सेव रखें जहां
से किसी भी समय आप
आसानी से उसका
बैकअप ले सकें.

सेटिंग को खोलकर आप यहां पर Network SSID में कोई नाम लिखिए। (उदाहरण चौथी) तथा Security ऑप्शन में WP2 PSK ऑप्शन को सेलेक्ट करें। उसके बाद पासवर्ड के ऑप्शन में कम से कम 8 करेक्टर का पासवर्ड टाइप करें। और सेटिंग्स को सेव कर दीजिए और टेथरिंग एंड पोर्टबल हॉटस्पॉट ऑप्शन से बाहर आकर आप अपने वाई-फाई हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिये। ऑन करने के बाद आपका अपना प्राइवेट वाई-फाई तैयार हो जाएगा। अब आपको जिस-जिस डिवाइस में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करना हो उसके वाई-फाई ऑप्शन में जाकर Network SSID में जो नाम दिया हो (चौथी)

वो सर्च करें और वही पासवर्ड के माध्यम से कनेक्ट करें जो आपने सेटिंग के समय उस डिवाइस में समिट किया था. आप चाहे तो बिना पासवर्ड के भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप यह सुविधा नहीं देना चाहते हैं, वे भी बिना पासवर्ड के आपके वाई-फाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए पासवर्ड के प्रयोग से आपके डाटा की सिक्योरिटी बनी रहती है और आपका वाई-फाई वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे जिनको आपके पासवर्ड की जानकारी होगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन के डाटा को शेयर करके अपने करीबी लोगों के खर्च में कुछ कमी कर सकते हैं।

कैसे कांटेक्ट बैकअप ई-मेल पर सेव करें

को दोबारा हासिल करने में कठिनाई होगी और हो सकता है कि कई सारे कांटेक्ट नंबर मिल भी न पाएँ. अगर आप नया मोबाइल फोन लेते हैं तो पूर्णे मोबाइल से नए मोबाइल कांटेक्ट नंबर ट्रांसफर करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है. आप ब्लूटूथ से आसानी से अपने कांटेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फोन सही हो, लेकिन अगर आपका फोन टूट जाता है या खराब हो जाता है तो इस स्थिति में यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिये जरूरी है कि अपने कांटेक्ट लिस्ट को ऐसी जगह सेव रखें जहां से किसी भी समय आप आसानी से उसका बैकअप ले सकें. उसके लिए सबसे सही जगह है आपकी ई-मेल आईडी, ई-मेल ही एक ऐसी जगह है जहाँ फोन कांटेक्ट लिस्ट को सेव करने पर उसका बैकअप आसानी से कहीं भी कभी भी लिया जा सकता है.

उसके लिए आप अपने फोन के कॉन्टेक्टर लिस्ट में जाएं। उसके बाद ऑप्शन बटन को दबाएं वहां आपको इम्पोर्ट / एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा और उसको क्लिक करें। अब कॉपी कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम में उस जगह को चुनिए जहां आपके मौजूदा कॉन्टेक्ट्स सेव हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन को चुनें, अब आपको आपकी ई-मेल आईडी, व अन्य ऑप्शन फोन में, मेमोरी में या सिम में बैकअप लेने के लिए दिखाई देंगे, आप इसमें से अपनी ई-मेल एड्रेस को सेलेक्ट कीजिये और नेक्स्ट कीजिये फिर अपने फोन के सभी कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट अॉल कर सेलेक्ट कीजिये। उसके बाद नेक्स्ट बटन को टच कीजिये, आपके फोन के सभी कनटैक्ट्स का बैकअप आपकी ई-मेल आईडी पर सेव हो जायेगा, इसी तरह आप नये कॉन्टेक्ट्स को भी अपने ईमेल पर सेव कर सकते हैं, उसके लिए आप ऐड टू कॉन्टेक्ट्स करते समय अपनी ई-मेल आईडी को सलेक्ट करें। ■

feedback@chauthiduniya.com

यामाहा की सुपरबाइक

या माहा ने भारत में अपनी दो नई सुपरबाइक YZF-R1 और R1M लॉन्च कर दी है. यामहा की वाईजेडेफ-आर1(YZF-R1) ब्लू-सफेद मेटलिक रंग में उपलब्ध है. कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 29 लाख 43 हजार रुपये रखी है. वहाँ आरएम (R1M) दो रंगों में उपलब्ध है. कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 22 लाख 34 हजार रुपये रखी है. दोनों ही बाइक ऑर्डर पर उपलब्ध होंगे. वाईजेडेफ-आर1 और आरएम की हाई टेक आर्म्ड प्योर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गई हैं. इन दोनों ही बाइक में 998सीसी लिविंगड कूलड इंजन, 4 स्ट्रोक, इन लाइन फोर सिलिंडर, 4-वॉल्व इंजन के साथ 200बीएचपी का इंजन लगा है. साथ ही इन सुपरबाइक्स में टैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और ड्रॉइड जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. ■

कंपनी ने इस मॉडल की कीमत 22 लाख 34 हजार रुपये रखी है। दोनों ही बाइक ऑर्डर पर उपलब्ध होंगे। वाईजेएफ-आर1 और आर1एमकी हाईटेक आर्म्ड प्योर सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पर तैयार की गई हैं। इन दोनों ही बाइक में 998सीसी लिक्रिव क्लूल इंजन, 4 स्ट्रोक, इन लाइन फोर सिलिंडर, 4-वॉल्व इंजन के साथ 200बीएचपी का इंजन लगा है।

ग्रामीण विकास की गाथा लिख रही हैं सख्ती

चौथी दुनिया ब्यूरो

यू एस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) और स्वयं शिक्षण प्रयोग (एसएसपी) के संयुक्त तत्वावधान में पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महिला उद्यमियों की अहम भूमिका विषयक इस कार्यक्रम में नवीन एवं अद्वितीय ऊर्जा मंत्रालय की संयुक्त सचिव वर्षा जोशी, यूएसएआईडी के मिशन डायरेक्टर जॉन बीड, स्वयं शिक्षण प्रयोग की एकजीव्यूटिव डायरेक्टर प्रेमा गोपालन एवं कीनिया में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की अध्यक्ष वंजीरा मथाई ने अपने विचार व्यक्त किए।



अपने संबोधन में प्रेमा गोपालन ने कहा कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पिछले 20 वर्षों से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को स्व-रोज़गार के प्रति जागरूक कर रहा है, इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। जॉन बीड के मुताबिक, भारत की एक बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है, गांवों के विकास में स्वयं शिक्षण प्रयोग से जुड़ी महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता न सिर्फ पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी यह बेहद ज़रूरी है। अफ्रीकी देश कीनिया में ग्रीन बेल्ट से जुड़ी वंजीरा मथाई ने कहा कि अफ्रीका के देशों में गरीबी काफ़ी ज्यादा है। अन्य देशों की तुलना में वहां लोगों का जीवन स्तर निम्न है। खाना पकाने के लिए अफ्रीकी देशों में लकड़ियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे वहां जंगलों के विस्तार में कमी आ रही है। नतीजतन, वातावरण पर इसका प्रतिकूल असर हो रहा है। अफ्रीकी देशों में स्वच्छ ऊर्जा की बेहद आवश्यकता है। उनके मुताबिक, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इस दिशा में सार्थक पहल कर रहा है।

स्वयं शिक्षण प्रयोग एक गैर सरकारी संगठन है, जो ग्रामीण विकास को समर्पित है और समाज के पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2006 में स्थापित सरकी यूनिक रूरल इंटरप्राइज के माध्यम से स्वयं शिक्षण प्रयोग ग्रामीण महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार में महिलाओं को स्व-शिक्षण प्रयोग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहां महिलाओं को एक कामयाब उद्यमी बनाने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इन महिलाओं को व्यापारिक नेटवर्क के विषय में बताया जाता है, ताकि वे आर्थिक रूप से सबल हो सकें। स्वयं शिक्षण प्रयोग ने एक ग्रामीण मार्केटिंग और वितरण कंपनी को भी प्रोत्साहित किया है, जिसे वर्ष 2006



कार्यक्रम समन्वयक, इनर्जिया और उपमन्त्र पाटिल, डायरेक्टर, सखी यूनिक रुरल इंटरग्राइस समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने

अनुभव साझा किए। सखी यूनिक रस्ते इंटरप्राइस के डायरेक्टर उपमन्यु पाटिल ने चौथी दुनिया को बताया कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। विपत्ति की मारी ऐसी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रही है स्वयं शिक्षण प्रयोग नामक यह संस्था, महाराष्ट्र के लातूर में वर्ष 1993 में भूकंप आया था। उन दिनों वहां चारों तरफ तबाही का आलम था। लोगों के बीच सरकार को लेकर काफ़ी गुस्सा था। इसलिए हमारे लिए वहां काम करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लातूर में हमारी संस्था ने यह महसूस किया कि वहां लोगों को मदद की ज़रूरत तो थी, लेकिन वे उसी पर अधिक नहीं थे। कुछ ऐसा ही अनुभव भुज और सुनामी से तबाह हुए तमिलनाडु में भी देखने को मिला। पाटिल ने बताया कि स्वयं शिक्षण प्रयोग पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है। इस संस्था से जुड़े करीब 70 हज़ार घरों की आय में 33 फ़ीसद का इजाफ़ा हुआ है। सखी (महिला उद्यमी) 1,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रही हैं। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने, आग तापने, रोशनी, कृषि और कारोबार के लिए स्वच्छ ऊर्जा का सीमित उपयोग होता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (एपएचजी) से जुड़कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों को बेचने के लिए उत्सक हैं। ■



कौन होगा पलेचर का उत्तराधिकारी

टीम इंडिया को कोच इस बार देशी होगा या विदेशी इस पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं। क्योंकि साल 2001 में जॉन राइट के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद फ्लेचर तक टीम इंडिया के सभी कोच विदेशी ही रहे हैं। ग्रेग चैपल के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कोचों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है। जान राइट के कोच रहते टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची। गुरु गैरी ने 2011 में टीम इंडिया को विश्व विजेता बना दिया। डंकन टीम इंडिया को विश्व कप के सेमी-फाइनल तक पहुंचाने में सफल रहे। राइट के बाद ग्रेग चैपल, गैरी क्रिस्टन और डंकन फ्लेचर विदेशी कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों के नाम सबसे आगे हैं।


पर्मेश्वर कुमार सिंह

3II

ईसीसी विश्व कप-2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में हार के साथ ही डंकन फ्लेचर का भारत के कोच के रूप में चार साल लंबा सफर खत्म हो गया। विश्व कप खिताब न बचा पाने के बाद, न ही बीसीसीआई फ्लेचर का कार्यकाल बढ़ाना चाहाया था और डंकन ने भी कांटक को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं जताई। साल 2011 में भारत को विश्व चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले गैरी क्रिस्टन ने पारिवारिक कारणों की वजह से टीम इंडिया का कोच बने रहने से इंकार कर दिया था। इसके बाद बीसीसीआई ने गुरु गैरी की अनुरंगाएँ पर ही जिंदाबाद के पूर्व कप्तान डंकन फ्लेचर को टीम इंडिया का कोच नियुक्त किया था। हालांकि, तब टीम इंडिया का कोच बनने की दौड़ में पूर्व कीवी कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग और जिंदाबाद के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर भी सम्भाल थे।

नए कोच के चयन को लेकर बीसीसीआई की नवागतिन वर्किंग कमेटी की 26 अप्रैल को कोलकाता में बैठक होने जा रही है। यह जगमोहन डालमिया के अध्यक्ष चुने जाने के बाद बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की पहली मीटिंग भी है। संभावना है कि इस बैठक में नए कोच के चुनाव के लिए अपनाइ जाने वाली प्रक्रिया ने युरोप में गहन चर्चा होगी। विश्व कप के बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा जून में बांगलादेश का है। इसलिए बोर्ड के पास कोच के चयन के लिए पर्याप्त वक्त है। फिलहाल भारतीय टीम की कोर्चिंग की कमान डायरेक्टर रवि शास्त्री, सहायक कोच के संजय बांगड़, भरत अरुण और आर श्रीधर की तिंडी के हाथों में रहेगी। ऐसे में नए कोच की नियुक्ति तक प्रवीण आमरे को बैटिंग कोच बनाए जाने की संभावना नज़र आ रही है।

इस बार कोच देशी होगा या विदेशी इस पर सबसे ज्यादा अटकलें लग रही हैं। क्योंकि साल 2001 में जॉन राइट के भारतीय टीम का कोच बनने के बाद फ्लेचर तक टीम इंडिया के सभी कोच विदेशी ही रहे हैं। ग्रेग चैपल के कार्यकाल को छोड़ दें तो बाकी सभी कोचों का कार्यकाल बेहद सफल रहा है। जान राइट के बाद ग्रेग चैपल, गैरी क्रिस्टन और डंकन फ्लेचर विदेशी कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वही विदेशी दावेदारों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज



की इस संबंध में जगमोहन डालमिया से गुपचुप बैठक की है। ऐसे में इस बात का आकलन करने की जरूरत है कि फ्लेचर के कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमियां रह गईं जिन्हें पूरा करना नए कोच के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

नए कोच के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी धरती पर टीम इंडिया को टेस्ट मैच जिताने की होगी। इस पद के लिए उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल लोगों में जो इस कमी को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त नज़र आएगा वही टीम इंडिया का चौपांच कोच बनने में कामयाब होगा। फ्लेचर के कोच रहते भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में साल 2011 में 4-0 और साल 2014 में 3-1 के अंतर से हार मिली, वहीं ऑस्ट्रेलिया में साल 2011-12 में 4-0 और 2014-15 में 2-0 के अंतर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वहीं न्यूजीलैंड की धरती पर 2013-14 में 1-0 और दक्षिण अफ्रीका में 2013 में 1-0 के अंतर से हार मिली। इस वजह से टीम इंडिया की जमकर आलोचना भी हुई। फ्लेचर की देखरेख में टीम इंडिया ने कुल 38 टेस्ट मैच खेले। इनमें से 13 में जीत हासिल हुई और 17 में टीम को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 9 मैच बराबरी पर समाप्त हुए। हाल ही में जारी हुई टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया सातवें पायदान पर वहां रह गई है। दूसरी तरफ वन-डे में टीम इंडिया को प्रदर्शन अच्छा रहा है। फ्लेचर के कोच रहते भारतीय टीम ने 106 वन-डे मैच खेल जिनमें से 64 में जीत और 32 में हार हुई जबकि 3 मैच टाई रहे और 7 बेनारीजा समाप्त हुए। साल 2013 में टीम इंडिया ने लगातार आठ वन-डे सीरीज जीतने का अनोखा रिकॉर्ड काढ़ा किया। जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी की जीत भी शामिल थी।

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस बार भारतीय टीम के कोच बनने की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे हैं। दादा टीम इंडिया के विदेशी धरती पर प्रदर्शन को लेकर हस्तिया आवाज उठाते रहे हैं। उनकी कलानी में भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर कई टेस्ट मैच जीते थे। सबसे अहम बात वह है कि उन्हें मॉडन डेक्रेट को आच्छी समझ है। जिसमें एकांकामक कप्तान की इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना सबसे आगे है। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़ेगी या इस पर विराम लग जायेगा। हालांकि, इस बार देशी कोच चुने जाने की संभावना ज्यादा है। कोच बनने देशी दावेदारों में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के अलावा संजय बांगड़, रॉबिन सिंह और प्रवीण आमरे जैसे खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हस्टी के नाम सबसे आगे हैं। वहीं विदेशी धरती कोचों की इस कड़ी का हिस्सा हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यह चेन आगे बढ़े

योथी दिनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

बिहार
झारखंड

27 अप्रैल-03 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467



- स्थिविमिंग पूल
- शॉपिंग सेन्टर
- 24x7 बिजली, पानी एवं सुरक्षा

www.vastuvihar.org Customer Care : 080 10 222222

• 1 Builder • 9 States • 58 Cities • 107 Projects

9

लाख
में
2 BHK
FLAT



5 STAR BUNGALOW

सिलीगुड़ी, रांची, बोकारो, धनबाद, पटना
भागलुरु, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में तैयार

Five Star
Bungalow

यानि...
6 डिल्ली कड़के की ठंड थे या 42 डिल्ली की गर्भी,
घर की शीतली तापमान मात्र 21 डिल्ली जो 27 डिल्ली
नोट :- वास्तु विहार में पहले से लिए गये घर को Five Star
में बदलने के लिए कार्यालय से सम्पर्क करें।



कांग्रेस और मासी में पकर ही है रियरड़ी

कांग्रेस का एक तबका यह मान कर चल रहा है कि जनता परिवार का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और लालू व नीतीश की मिली हुई ताकत हाल में नेंद्र मोदी को बिहार में रोक देनी। इसलिए बेहतर होगा कि सूबे में महागठबंधन में ही सम्मानजनक स्थान खोजने का प्रयास किया जाए। जबकि एक खेमा चाहता है कि पार्टी को जमीन पर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।



क

हा जाता है
राजनीति अपने
हित में संभावना
तलाशने और

उसे अमलीजामा पहाने का
ही खेल है। कांग्रेस इन दिनों
बिहार में राजनीति का यही
गेम खेल रही है। पिछले दो
दशकों से बिहार की
राजनीति में लगभग हाशिये
पर खड़ी कांग्रेस के लिए इस बार के सूबे के चुनाव
में कुछ बेहतर करने का भारी दबाव है। यह दबाव
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली में अपनी
गिरती साख को लेकर चिंतित बड़े नेताओं पर भी
है। कांग्रेस आज केंद्र और बिहार की राजनीति में
जिस दोगाहे पर खड़ी है, उसके मद्देनज़र इस बार
के बिहार चुनाव का महत्व और भी बढ़ जाता है।

यही वजह है कि दिल्ली से लेकर पटना तक
कांग्रेसियों के बीच गहन मंथन का दौर जारी है। पहला
दरवाज़ा बड़ा टास्क नेंद्र मोदी के विजय रथ को
रोकना है तो दूसरी अधिकारीजनों में अपनी
जमीन को मजबूत करना भी है। बिहार में सत्ता से
हटने के बाद से ही कांग्रेस सूबे में कभी लालू प्रसाद
तो कभी नीतीश की पिछलगूँ बनकर ही रही है।
मौजूदा नीतीश सरकार को भी कांग्रेस का समर्थन
हासिल है। प्रदेश अध्यक्ष खुद तो लालू प्रसाद और
नीतीश कुमार की कृपा से एमएलसी बन गए पर
कांग्रेस के चुनाव भविष्य क्या होगा, इसे लेकर
कोई भी नेता आश्वस्त नहीं है। यह कांग्रेस का
दुर्भाग्य रहा कि सत्ता से हटने के बाद पार्टी का
ज्यादा समय अपनी लड़ाई में ही गुजरा। एक
अध्यक्ष बना नहीं कि दूसरा गुट उसे हटाने में लग
गया। यह सिलसिला आज की तरीख तक जारी है।
इस दौरान अगर कुछ दिनों के लिए अनिल शर्मा का
कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने अपना पूरा
वक्त आपसी झगड़े में ही गुजार दिया। नीतीश यह
हुआ कि पार्टी कभी अपने आप को जमीन पर खड़ी
नहीं कर पाई। चुनाव में उसे बैसाकी की जरूरत
पड़ने लगी और लालू प्रसाद अपनी शर्तों पर हमेशा
इस काम के लिए तैयार दिखे। इस साल बिहार में
चुनाव होने हैं और नेंद्र मोदी की लोकप्रियता का
भूत कांग्रेस को परेशान किए हुए हैं। कांग्रेस को

भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने ज़मीन तैयार कर रही कांग्रेस

चं

पारण में अपना वजूद खो चुकी कांग्रेस¹ इन दिनों भूमि अधिग्रहण बिल के बहाने जनता को तभाने व अपनी पुरानी प्रतिष्ठानों को वापस लाने के लिए संघर्ष करने लगी है। कांग्रेस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल के बिलाफ़ लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरह से उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं और एक बेहतर कार्योजना बनाकर जनता के लिए पहुंच रहे हैं। व्या है भूमि अधिग्रहण बिल और इस बिल से क्या हानि होती, विस्तार से व्याप्ति करते हुए कांग्रेसी नहीं थक रहे हैं।

पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया, संगमपुर, बंजरिया, कोटवा समेत सभी इलाकों में उनकी सक्रियता देखी जा रही है और इस अभियान से आगामी चुनाव में पड़ने वाले दूरगामी अस की समीक्षा की जाने लगी है। चौक-चौराहों पर भी कांग्रेस के इस अभियान की वर्षा हो रही है। केसे आगामी चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदेश करे, इस बाबत कार्यकर्ताओं को विशेष टारक भी दिया जा रहा है और बीते लोक सभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेसी काफी सुस्त हो गये थे। किन्तु इस पद यात्रा ने एक बार रही है और अपने आलाकामान के फैसले को आम-जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। यह पद यात्रा कांग्रेसियों के लिए किन्तु सार्थक होगी और आगामी चुनाव में व्या रंग लायेगी, यह तो आने वाला समय ही जनता का द्वाकात भी उनके पक्ष में हो रहा है। यहाँ बाबत कार्यकर्ताओं को विशेष टारक भी दिया जा रहा है और बीते लोक सभा चुनाव में उत्साहित तो हुए ही साथ ही पुराने साधी भी कांग्रेस के नजदीक आ गये। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर केन्द्र की मोदी सरकार पर जम कर जिशाना साधा और कहा कि पुंजीपतियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार यह बिल नुकसान पहुंचायेगा। बीते दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के बेतूत में केसरिया व संगमपुर में पहुंची पद यात्रा व इस यात्रा की स्वागत में उमी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस अपने लेनदेन के लिए कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेसियों के लिए कांग्रेस को अपनी और खींचने की कोशिश कर रहे हैं।



उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मान समान देने का आशावान दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार हो रही है जो प्रत्येक गांव व इलाके में जायेगी और लोगों को जागरूक करेगी। सभा के दौरान पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, ब्रजेश पाडेय, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष विधिन ज्ञा, राष्ट्रीय नेता शंभूसिंह, पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पासवान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजनीति कुमार सिंह, अंकु पाडेय, बच्ची पाडेय, मधुबाला पाडेय, जिला उपाध्यक्ष शही कान्त मिश्र, मो. कलाम हुसैन, मुनमुन जायसवाल आदि ने अपनी पूरी सक्रियता दिखाकर चंपारण की राजनीति बरमा दी। कुल मिलाकर चंपारण में कांग्रेस अपनी जमीन तैयार करने की भरपूर कोशिश कर रही है और उसके कार्यकर्ता भी लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं।

नेंद्र मोदी को भी रोकना है और चुनावों में भी बेहतर करना है। चूंकि लक्ष्य देहरा है इसलिए चुनावी रणनीति को लेकर भी एक राय नहीं बन सकी है। कांग्रेस का एक तबका यह मान कर चल रहा है कि जनता दल परिवार का विलय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और लालू व नीतीश की मिली हुई ताकत हाल में नेंद्र मोदी को बिहार में रोक देनी। इसलिए बेहतर होगा कि सूबे में महागठबंधन में ही सम्मानजनक स्थान खोजने का प्रयास किया जाए। अभी हाल में कांग्रेस के विरोध नेता जयराम रसेंगा के लिए भी या कि कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि सूबे उत्साह भरने के साथ रहे ताकि नेंद्र मोदी का विजय रथ सोका जा सके। बिहार में भाजपा की हार से नेंद्र मोदी का जादू देशभर में उतर जाएगा। जबकि कांग्रेस का दूसरा तबका मानता है कि जनता ने लालू नीतीश और सुरील मोदी का शासन देख लिया है इसलिए बेहतर होगा कि कांग्रेस नेता को कांग्रेस के जीतनाम मांझी के साथ चुनाव में लालू में आशावान कर या फिर उनके पूरे कुनबे को कांग्रेस में शामिल कर अकेले चुनाव में उत्तरना चाहिए। इस खेमे का कहना है कि विलय सहस्रे आदश स्थिति होगी लेकिन अगर यह नहीं हो पाता है तो फिर जीतना राम मांझी को सीएम का प्रत्याशी घोषित कर आधी आधी सीटों पर चुनावी जंग में उत्तरना चाहिए। इस खेमे का तर्क है कि ऐसा करके कंग्रेस अपने पुनर्नेजनाधार को एक बार फिर से जिंदा करने में सफल रहेगी। दलित, महादलिल अल्पसंख्यक और अगड़ी जातियों पर गोलबंद कर कांग्रेस को बेहतर परिणाम हासिल कर सकती है। इससे पार्टी को अपनी जमीन तैयार करने में काफी मदद मिलेगी। सालों से सुस्त पड़ गए कांग्रेसियों को लगेगा कि पार्टी इस बार बिहार में किसी की पिछलगूँ नहीं बल्कि अपने बलबते सरकार बनाने के लिए चुनाव में बेहतर नीतीजे दे सकी तो फिर देशभर में उसे जिंदा होने का एक सुनहरा अवसर मिल जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं कि विलय सहस्रे अध्यक्ष अशोक चौधरी को बहारा समर्थन है अब आगे क्या करना है इसका फैसला करने का अधिकार तो केंद्रीय नेतृत्व का है।

- इंटेज़ारल हक्क

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

योथी दानेया

27 अप्रैल-03 मई 2015

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार



ਤੁਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਤਾਰਾਖਣਦ

कानून और व्याय की दुर्बर्वास्था चरम पर



अपारी फर जल में निधि

उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्तों की फरारी का मामला भी लोगों के ध्यान में तब ताजा हुआ जब सुप्रीमकोर्ट ने उनके फरार होने के बावजूद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से मना कर रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी अपना वाजिब कानूनी तर्क था कि अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित किए बगैर आरोप-पत्र दाखिल करना उचित नहीं है। इस आदेश के कारण जांच पूरी होने के बावजूद राज्य में दो साल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे थे। आप उस जांच के बारे में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई। पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए माथापच्ची क्यों करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए.

A portrait photograph of a middle-aged man with dark hair and a full, grey beard. He is wearing a light-colored shirt and has a serious expression.

तर प्रदेश में समाजवाद का राज है, वैसे तो पूरे देश में कानून और न्याय की हालत केवल शोशेबाजी तक केंद्रित होकर रह गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे भयावह है। कानून और राजनीति की खिचड़ी से प्रदेश में जो सिस्टम उत्पादित हुआ है, वह नायाब है। जिस प्रदेश में तकरीबन साठ-सत्तर हजार लोग

बिना किसी न्यायिक सुनवाई के बरसों-बरस से जेलों में बंद हों, वहां की शासनिक-प्रशासनिक-न्यायिक व्यवस्था के बारे में आसानी से समझा जा सकता है। फिर इसमें हैरत क्यों जताई जाती है कि उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्त फरार हैं! देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात पर आश्चर्य जाहिर किया है कि उत्तर प्रदेश से 68 हजार से अधिक अभियुक्त फरार हैं। सुप्रीमकोर्ट ने इन फरार अभियुक्तों के खिलाफ भी अभियोग पत्र (चार्ज शीट) दाखिल करने की इजाजत दी है। लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की विधिवाली जेलों में बंद उन विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जो बिना किसी न्यायिक सुनवाई के कैद भोग रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे कैदी हैं जो पांच और दस वर्ष से भी अधिक समय से जेल में बंद हैं। कहने के लिए वे विचाराधीन हैं, लेकिन उनपर कोई विचार नहीं किया जा रहा। उनका अपाराध साबित भी हो जाए तो अधिकांश लोगों की सजा उस त्रासद अवधि से कम ही होगी, जितनी अवधि से वे जेल भोग रहे हैं। न्यायिक सुनवाई के बाद जिन विचाराधीन कैदियों को बाइज़त रिहा किया जाएगा, उनकी जेल में कटी उम्र की इज़जत कौन सी न्यायिक व्यवस्था रखेगी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बात-बहादुरी की चाहे जितनी कर ली जाए। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक 58,100 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का यह आधिकारिक आंकड़ा 2013 तक का है। राष्ट्र का इतना महत्वपूर्ण महकमा इतनी स्पीड से चलता है कि उसका आंकड़ा हमेशा दो साल पीछे ही रहता है। बहराहाल, इस आंकड़े में न्यायिक-दुर्गति के हिसाब से आकलन कर लें तो संख्या साठ से सत्तर हजार पहुंच जाती है। ऐसे में अभियुक्तों की फरारी के अपने वाजिब तर्क भी हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश से 68 हजार अभियुक्तों की फरारी का मामला भी लोगों के ध्यान में तब ताजा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके फरार होने के बावजूद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से मना कर रखा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी अपना वाजिब कानूनी तर्क था कि अभियुक्तों की पेशी सुनिश्चित किए गए आरोप-पत्र दाखिल करना उचित नहीं है। इस आदेश के कारण जांच पूरी होने के बावजूद राज्य में दो साल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो पा रहे थे। आप उस जांच के बारे

सरकार के मुँह पर तमाचा

रा ष्ठीय मानवाधिकार आयोग से लेकर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के लिए लड़ने का ढांग करने वाली सभी सामाजिक संस्थाएं और संविधान के प्रावधानों के तहत मानवाधिकार के प्रति संजीदा रहने का भाषण पढ़ने वाली सरकार के चेहरे पर 1770 की संख्या एक करारे तमाचे की तरह है। वर्ष 2013 के इस आंकड़े में और दो साल की संख्या मिला दी जाए जो तमाचे का झग्गाटा और बढ़ जाता है। चलिए 2013 के ही आंकड़े को सामने रख कर बात करें। उत्तर प्रदेश की जेलों में 1770 ऐसे लोग वर्षों से बंद हैं जो जुर्माने की रकम जमा नहीं कर पाने के कारण जेल से छूट नहीं पा रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं कि ये ऐसे ही लोग हैं, जो जुर्माने की तुच्छ रकम भी जमा करने की औकात नहीं रखते। जेलों में बंद ऐसे 1770 मजबूर लोगों में 81 महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन सरकार या संस्थाएं इनके लिए आगे नहीं आती। विहार को बदनाम तो किया जाता है, लेकिन विहार में मात्र 13 ऐसे कैदी हैं जो जुर्माने की रकम अदा नहीं करने के कारण जेल में बंद हैं। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ■

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं की प्रतिष्ठा के तमाम प्रशासनिक प्रावधान लागू की घोषणाएं करके प्रत्येक अंतराल पर अपनी पीठ ठोकने का प्रायं करती रहती है। लेकिन आप हैरत करेंगे कि बिना सजा मुकर्रर हुए वर्षों से प्रदेश की विभिन्न जेलों में कारावास भुगत रहे 58,100 विधाधीन कैदियों में से 2,349 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा देखते हुए ध्यान रखें कि यह संख्या वर्ष 2013 की है। दो साल में यह संकाफी अधिक हो गई है, लेकिन इनकी रिहाई या कानूनी तौर पर इन जमानत के लिए समाजवादी सरकार को सोचने की भी फुर्सत नहीं वैसे, जितने भी विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, उनकी जमानत लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। लेकिन जेलों में बंद विचाराधीन बोटर नहीं हैं, इसीलिए सरकार पर क्या फर्क पड़ता है। ■

में सोचें, जो अभियुक्तों के फरार रहने के बाद भी पूरी कर ली गई। पुलिस भी फरार अभियुक्तों की गिरफतारी के लिए माथापच्ची ब्रेंड करे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक-न्यायिक अराजकता का चरम यह है कि उत्तर प्रदेश में छह लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिनमें आरोप-पत्र दाखिल होने के

बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए।
 68 हजार फरार अपराधियों में गंभीर अपराधों में वांछित ऐसे भी शातिर अपराधी शामिल हैं, जिनके मामलों में जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन फरारी के चलते अदालत में आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो सका था। सुप्रीमकोर्ट के जज दीपक मिश्रा और पीसी पंत ने 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए फरार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने की इजाजत दे दी। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए पूछा कि

कानून की ऐसी-तैसी

वर्ष 2013 और 2014 में 66,816 फरारी अभियुक्तों (क्रमशः 23,174 और 43,642) की फरारी के कारण आरोप-पत्र पेश नहीं हो पाए। अन्य कारणों से 2326 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज मामलों की संख्या देखें तो वर्ष 2013 में 3,64,895 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2,24,391 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए। वर्ष 2014 में कुल दर्ज मामलों की संख्या 3,91,865 थी, जिनमें 1,83,792 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए। 6,20,104 मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियुक्त पेश ही नहीं किए गए। ■

आखिर उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों है?

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के कारण उत्तर प्रदेश में 67,816 मामलों आरोप-पत्र नहीं दाखिल हो पाए हैं। इन सारे मामलों से जु अभियुक्त फरार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की धीमी गति व अदालतों में लंबित मुकदमों की भारी संख्या पर चिंता जताते हुए 24 मई 2013 को यह आदेश दिया था कि अगर अभियुक्त अदालत में पेश न हो तो जिला अदालतों द्वारा पुलिस की ओर से दाखिल आरोप-पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से इसलिए मना कर दिया था, क्योंकि 6 लाख 20 हजार 104 मामले ऐसे हैं, जिन आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इन वीभत्स आंकड़ों को देख कर राज्य

तत्कालीन डीजीपी और गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव को आदेश दिया था कि वे इन मामलों में अभियुक्तों की संबंधित अदालतों में पेशी सुनिश्चित करें। यह भी कहा गया कि इसके लिए पुलिस को संबंधित अदालत से सम्मन या पेशी वारंट का आदेश लेने जरूरत नहीं होगी। हाईकोर्ट ने पांच फरवरी 2013 को निर्देश दिया था कि डीजीपी और प्रमुख गृह सचिव यह सुनिश्चित करें कि आरोप-पत्र दाखिल करते समय अभियुक्त अदालत में हाजिर रहे। पेशी के समय जांच अधिकारी आरोप-पत्र, एफआईआर व अन्य दस्तावेजों की प्रति तैयार रखे और उसे उसी समय मजिस्ट्रेट के जरिए अभियुक्त को सारे दस्तावेज सौंप दे। इसके लिए हाईकोर्ट ने दस्तावेजों की प्रतियां तैयार कराने के लिए सभी थानों में फोटोकॉपी मशीनें व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए थे। हाईकोर्ट का मानना था कि दस्तावेजों की प्रतियां रिसीव करने के बाद मुकदमा ठंडे बस्ते में नहीं जा पाएंगा। लेकिन हाईकोर्ट के इन आदेशों की कौन सुनता है! नौकरशाही की नजर में न्यायिक सम्मान की स्थिति तो यह सामने आई कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने हाईकोर्ट में ही कह दिया कि इस आदेश का पालन नहीं हो सकता। गृह विभाग का कहना था कि अभियुक्त को दस्तावेजों की निश्चल प्रति उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कानून संबंधित मजिस्ट्रेट की है, न कि जांच अधिकारी की। शासन ने यह भी रोना रोया कि फोटोकॉपी कराने के लिए महकमे के पास लोग और संसाधन नहीं हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2013 को आदेश जारी कर फरार अपराधियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी थी। नियम यह है कि अपराध की जांच पूरी कर संबंधित अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस आरोप-पत्र दाखिल करती है। इसके बाद अदालत अभियुक्तों को पेशी के लिए सम्मन या वारंट जारी करती है। आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप-पत्र की प्रति और सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं। हाईकोर्ट ने पाया कि दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए मामला लटक जाता है और मुकदमे में देरी होती है। इसके अलावा आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद भी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती और अभियुक्तों की अदालत में पेशी न होने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाता है।

अभियुक्तों को पकड़ने और अभियोजन के पक्ष को मजबूत करने के लिए सरकार राजनीतिक घोषणाओं की तरह तमाम वायदे करती रही है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं किया गया। दारोगा और पुलिसकर्मियों की भर्ती के नाम पर घोटालेबाजी और जातिवादी राजनीति तो खूब होती रही, लेकिन मर्ज दूर करने पर कोई विचार नहीं हुआ। रोग बढ़ता हुआ आज नासूर बन गया है। अलग से अभियोजन निदेशालय बनाने की भी मांग उठी, लेकिन यह भी राजनीति के पेंचोखम में फंसी रह गई। मामला अदालत तक गया लेकिन अदालत ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। जबकि सीआरपीसी की धारा-25 के तहत अभियोजन निदेशालय बनाए जाने का पापाधन है।




जिलाधिकारी सीपी निपाठी के आजमी-रखैये ने भाग में थी का काम किया। वाल्मीकियों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और अंदोलन शुरू कर दिया और सामूहिक रूप से इस्लाम कबूल करने की घोषणा कर दी। उनका सौंधा और स्पष्ट आरोप था कि नगर पालिका के एक अधिकारी ने उनसे धमकाते हुए कहा है कि अगर मुसलमान बन जाओगे तो मकान दूटने से भी बचेंगे और आजम के कहर से भी बचोगे। जबकि आजम खान के लोगों और समर्थकों ने इसे और भड़काने की कोशिश की।



इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर दलित

रामपुर में आजम के खिलाफ बोलना मना है



सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ बड़वाले मंत्री आजम खान अब ऐसे देश की तलाश में हैं जो उन्हें शरण दे सके। पाकिस्तान की तरफ इशारा करने वाले आजम खान शरण लेने के लिए आगे भी नहीं बढ़ रहे। लेकिन उनके इलाके रामपुर में अब ऐसे ही हालात बनाए जा रहे हैं कि जो मुस्लिम होंगा, वही रामपुर में रहेगा, अन्यथा उनके घर ढहा दिया जाएंगे और हाथ में सकार है तो आगर पालिका से या नार विकास मंत्रालय से कोई नियम निकाल कर उसे आधार बना दिया जाए। रामपुर के तोपखाना रोड के पास रहने वाले दलितों के घर तोड़ने का फैसला जारी हो चुका है। उस इलाके में एक माल बन रहा है। दलितों के घरों को गैरकानूनी बता कर उसे ध्वस्त करने के नियम-कानून निकाल लिए गए हैं। लेकिन वहां रहने वाले दलितों के 80 परिवारों के दिमाग में यह भी डाल दिया गया है कि अगर वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो उनके घर बच जाएंगे। अब रामपुर में रहना है तो आजम खान के खिलाफ बोलना मना है। आप देख ही रहे होंगे कि रामपुर में सार्वजनिक मंच से, सोसाइटी मीडिया से या समाजांग माध्यम से आजम की निंदा की तो उसे प्रताड़ित होकर सीधे जल ही जाना पड़ता है।

रामपुर के वाल्मीकि समुदाय के 80 परिवारों का कहना है कि उन पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। इन परिवारों का कहना है कि कुछ दिनों पहले नगर पालिका से सिल्वे नबी नाम का एक अफसर वाल्मीकि बस्ती में आया था और उसने 55 घरों पर निशान लगा दिए थे। नगर पालिका के उस अफसर का कहना था कि निशान वाले घर अतिक्रमण के दायरे में आते हैं और सड़क को चौड़ा करने के लिए उन्हें तोड़ दिया जाएगा। बस्ती वालों के मुताबिक सिल्वे नबी ने उनसे कहा था कि अगर वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो उनके घर बच सकते हैं। बस्ती वालों का आरोप है कि सिल्वे नबी उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान का करीबी है। दलितों ने यह भी कहा कि उनके घर उजाड़ने की कार्रवाई और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के पीछे आजम खान का हाथ है। गांधी मॉल आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसी मॉल के पास मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है। आजम खान इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उत्तर प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिकाएं आजम खान के नार विकास मंत्रालय के तहत ही आती हैं।

अपने घरों को बचाने के लिए वाल्मीकि बस्ती के लोग आजम अनशन और धरने पर बैठ गए हैं। हालांकि दबाव में वे इस्लाम धर्म तक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

आजम खान के खिलाफ जनहित याचिका

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन शाकुर ने प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान द्वारा दिया गया शर्त और प्रतिक्रिया के बाब्य सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के मौलाना जौहर अली शोध संस्थान रामपुर की बैशकीमीती भूमि और भवन को स्वयं की बिजी संस्था मौलाना जौहर अली ट्रस्ट को मात्र 100 रुपये वार्षिक लीज पर दिए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ चैंस में जनहित याचिका दखिल की है। याचिका में कहा गया है कि आजम खान ने निजी लोगों को सरकारी भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सारें गांगुली, सुभाष शर्मा और कुशार्ह शर्मा द्वारा सारें मंत्री ने प्रतिवार्ता दिए हितों का टक्कराव बताते हुए सरकारी भूमि और भवन विभागीय मंत्री की निजी संस्था को देने का विरोध किया था। इस पर बाद में उन्हें विभाग से ही हात दिया गया और सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल कर यह विधि-विरुद्ध फैसला कराया गया। याचिका में इस आवंटन को निरस्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सज्जा कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

लेकिन इस मामले के तूल पकड़ते ही आजम खान बचाव की मुद्रा में आ गए और शरण लेने के लिए कोई उपयुक्त देश तलाशने जैसे बयान जारी करने लगे। मामला उलझता जा रहा है। मौलाना फुरकान रजा ने कहा कि उन्हें पता चला कि वाल्मीकि बस्ती के लोग लालच या दबाव के चलते इस्लाम अपनाना चाहते हैं। उन्होंने शहर काजी से इस बारे में फोन पर बात की है। मौलाना ने कहा कि शहर काजी ने भी कहा है कि कभी भी लालच में आकर या दबाव देकर मजहब नहीं बदलता या बदलवाया जाना चाहिए। वाल्मीकि बस्ती के मकान तोड़े जाने से लेकर बचाने तक को लेकर राजनीति तेज हो गई है। वाल्मीकि बस्ती की तरफ जाना चाह रहे भाजपा नेताओं को पुलिस वहां जाने नहीं दे रही है। नॉक्सांक और विरोध के बाद भाजपा नेताओं को वापस लौटाया पड़ रहा है। भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि दलितों की आवाज दबाकर लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दलितों के मकान किसी भी कीमत पर नहीं दूटने दिए जाएंगे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जिला सचिव सरन लाल वाल्मीकि ने कहा कि रामपुर का वाल्मीकि समाज किसी भी नेता के बहकावे में न आए। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर भी वाल्मीकि बस्ती को बचाने के लिए आयोजित धरना-प्रदर्शन में प्रदर्शित हुई। उन्होंने कहा कि रामपुर में देश का संविधान नहीं चलता है। नूतन ठाकुर ने कहा, नगर पालिका को कैविनेट मंत्री मोहम्मद अली आजम खान का संरक्षण मिला हुआ है। रामपुर में लोकतंत्र को पूरी तरह दबा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी भी दिल्ली से रामपुर पहुंच गई। उन्होंने पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की। शबनम ने दबाव किया है कि उन्हें डीएस ने अश्वासन दिया है कि वाल्मीकि बस्ती के घर अभी नहीं दूटेंगे। डीएस ने शबनम हाशमी को घबराने के घर बताते हुए कहा कि वाल्मीकि समुदाय के लिए जिला सचिव के लिए निवासित धरना-प्रदर्शन में उन्हें तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामपुर में देश का संविधान नहीं चलता है। नूतन ठाकुर ने दबाव करने के बाद जाएगा। रामपुर के दलित राजकुमार वाल्मीकि ने उनके घर से धरने के बाद जाएगा। रामपुर के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ मुमाला नहीं मिला तो खुद ही दोपी पहन कर कह दिया कि वे मुसलमान हो गए। मौलाना फुरकान रजा ने कहा कि लालच या डर में इस्लाम अपनाना बुनाह है। वाल्मीकि समुदाय के लोग अपनी बस्ती को बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनका आयोग स्वीकार नहीं किया। वाल्मीकि समुदाय के लोगों और बाहर से आमदाद वाली आयोग स्वीकार के लिए जाएगा। जबकि वाल्मीकि बस्ती की निशाचारी जाति के लिए जिला प्रशासन के लिए धरने के बाद जाएगा।

यह कैसा धर्म परिवर्तन

रामपुर के वाल्मीकि समुदाय के लोगों पर दबाव या खौफ इस कदर था कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई मौलाना नहीं मिला तो खुद ही दोपी पहन कर कह दिया कि वे मुसलमान हो गए। मौलाना फुरकान रजा ने कहा कि लालच या डर में इस्लाम अपनाना बुनाह है। वाल्मीकि समुदाय के लोग अपनी बस्ती को बचाने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनका आयोग स्वीकार नहीं किया। वाल्मीकि समुदाय के लोगों और बाहर से आमदाद वाली आयोग स्वीकार के लिए जाएगा। जबकि वाल्मीकि बस्ती की निशाचारी जाति के लिए जिला प्रशासन के लिए धरने के बाद जाएगा।

विश्वास कर रहे हैं। एक अन्य निवासी अविनाश तपन कहते हैं कि वे लोग आमदाद भी कर सकते हैं, ताकि मानीय मंत्री को उन पर दबाव आ जाए। रामचंद्र वाल्मीकि कहते हैं कि अब उन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। दरअसल, रामपुर के तोपखाना इलाके में रहने वाले इन वाल्मीकि परिवारों को रामपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने घर खाली करने का आदेश दिया था, ताकि गांधी मॉल के लिए सड़क चौड़ी की जा सके। बोर्ड का मानना है कि वाल्मीकि समुदाय के लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके रह रहे हैं, जबकि वाल्मीकियों का कहना है कि उनके मकान पूरी तरह वैध हैं और पार गांधी मॉल के बातावरी का आदेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि खुद बोर्ड ने उनके मकानों के लिए स्वीकृति दी थी और उनके पास सभी सबूत मौजूद हैं। वाल्मीकि बस्ती के लोगों की बात आदेश दिया था, ताकि वाल्मीकि बस्ती मॉल के लिए सड़क चौड़ी की जा सके। बोर्ड का मानना है कि वाल्मीकि समुदाय के लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके रह रहे हैं, जबकि वाल्मीकियों का कहना है कि वे लोग घरके मकान बनाने का बात रह रहे हैं। उनके दोस्रे लोगों का आदेश आयोग ने दिया है कि वे घर रहें। सभी के पास सरकारी दस्तावेज हैं और नगर पालिका ने ही उन्हें बाकायदा मकान नंबर भी दे रखे हैं।

रामपुर के वाल्मीकि समुदाय के 80

परिवारों का कहना है